



UTCL/DCW/FC/2026/A(3)

12.06.2026

**The Divisional Forest Officer
Obra Division
Sonbhadra
Uttar Pradesh**

Sub: Proposal for diversion of 331.475 ha Reserved Forest Land under Kajrahat (Dalla) Limestone Mine for mining on 10 years lease period in favour of UltraTech Cement Limited, Dalla in Obra Forest Division of District - Sonbhadra, State - Uttar Pradesh (Online No. FP/UP/MIN/47074/2020).

**Ref: (1) Proposal No. FP/UP/MIN/47074/2020, MoEF&CC File No. 8-26/2021-FC, EDS raised on dated 14.11.2022
(2) DIG forest letter on dated 27.11.2023**

Dear Sir,

This has reference to the forest diversion proposal (Online No. FP/UP/MIN/47074/2020) originally submitted in 2020 for an area of 344.688 ha.

Pursuant to the Essential Details Sought (EDS) raised by the MoEF&CC dated 14.11.2022, and the minutes of the meeting dated 25.08.2023 issued by the Nodal Officer, a joint survey was conducted by the Revenue Department, Forest Department, and the User Agency. The objective of this survey was to precisely demarcate the forest and non-forest areas within the Kajrahat (Dalla) and Bhalua limestone mines.

Based on the joint survey, the following area boundaries have been established:

- **Total Forest Area:** The total forest area within the Kajrahat (Dalla) limestone mines is determined to be 404.388 ha.
- **Eco-Sensitive Zone (ESZ):** A total of 92.62 ha falls within the ESZ of the Kaimoor Wildlife Sanctuary, which comprises 55.323 ha of forest land and 37.296 ha of non-forest land.



Page - 1/7

UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonbhadra (UP) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093. Tel.: +91 22 66917800

ADITYA BIRLA



Due to the enhanced forest area identified during the survey, constraints regarding Compensatory Afforestation (CA) land availability, and due to non-availability of an approved mining plan for the entire area (both forest and non-forest) of the Bhalua limestone mines, the forest area for the Bhalua limestone mines has been completely excluded from this revised proposal.

Consequently, the revised forest diversion proposal now exclusively covers the Kota and Pdrach villages within the Kajrahat (Dalla) limestone mines, under the Obra Forest Division in Sonbhadra District. Out of the total forest area, the forest land now proposed for diversion stands at **331.475 ha**, which has been calculated after deducting the following: -

1. Forest area falling within the Eco-Sensitive Zone of the Kaimoor Wildlife Sanctuary: **55.323 ha**
2. Forest area falling within the Kanhar River boundary: **17.590 ha**

We have received permission of edit our proposal from Nodal Officer vide letter No. 834 / 11-सी - FP/UP/MIN/47074/2020, लखनऊ dated 09.09.2025. Accordingly, we have submitted our forest diversion proposal of 331.475 ha forest land in village Kota and Pdrach of Kajrahat (Dalla) Limestone mines on 08.12.2025 at Parivesh Portal 1.0.

As per MoEF&CC letter dated 14.11.2022 and DIG Forest letter dated 27.11.2023, point wise EDS compliance for the diversion are as follows: -

Sr. No.	EDS Raised by MoEF&CC	EDS Reply by User Agency
1	The DCF/CCF/Nodal Officer (Part IV) and the State Government (Part V) are required to give their clear and specific recommendation for the proposal, which has not been provided. The same shall be submitted.	Recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer and State Government recommendation has been uploaded in Form A: Part-II on PARIVESH Portal. (The recommendation copies of DFO/CCF/Nodal Officer and State Government are attached for your reference and record as Annexure-01). However, the specific recommendation as per EDS shall be given by respective Authority.



Page - 2/7

UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonbhadra (UP) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093. Tel.: +91 22 66917800



2	<p>The copy of User Agency letter dated 17.08.2022 along with an Undertaking that No Mining/Work will be done in total Area of 92.60 ha involving 23.637 ha of non-Forest land and 68.963 ha of Forest land falling within the Eco-Sensitive Zone of Kaimoor Wildlife Sanctuary shall be submitted.</p>	<p>Undertaking that no mining activity or any other activity will not be carried out in total Kaimoor Eco-Sensitive Zone area is attached as Annexure-02. There is no land use change is proposed in Kaimoor Eco-Sensitive Zone area. Total area in Eco-Sensitive Zone is 92.62 ha wherein 37.296 ha is non-Forest land and 55.323 ha is Forest land.</p>
3	<p>The status of Mining after Expiry of Mining lease in the year 1996 and 2002 in case of Kajrahat Limestone Mine and Bhalua Limestone Mine respectively shall be submitted along with the status of violation of FCA 1980 in the proposed area.</p>	<p>The Kajrahat (Dalla) and Bhalua mining leases were transferred by the State Government of Uttar Pradesh to JP Associates Limited dated 07.11.2007 and 12.12.2007 respectively pursuant to the orders dated 12.12.2007 of Hon'ble Allahabad High Court subject to the conditions that mining lease covered by Forest land will be transferred to JP Associates Ltd. after the approval of Government of India. The above said two mining leases were further transferred to UltraTech Cement Ltd. by Government of Uttar Pradesh vide G.O. No. 1333/86-2017-169/2016 dated 20.06.2017 pursuant to the orders of the National Company Law Tribunal Bombay dated 15.02.2017 and NCLT Allahabad dated 02.03.2017. Since no mining leases for forest area were executed, consequently no activities were carried out in the proposed forest area by User Agency. Therefore, no violation of FC Act 1980 has been committed by User agency – UltraTech Cement Limited in this proposed area. The Bhalua limestone forest area is deleted from the revised forest diversion proposal.</p>
4	<p>The copy Undertaking that the Mitigation Measures Plan for Kaimoor Wildlife Sanctuary area</p>	<p>Copy of Undertaking for Mitigation Measures Plan for Kaimoor Wildlife Sanctuary enclosed as Annexure-03.</p>



UltraTech Cement Limited

Unit: Dallah Cement Works : SH 5, Post: Dallah, Distt. Sonebhadra (UP) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093. Tel.: +91 22 66917800



	will be prepared and implemented at the cost of User Agency shall be submitted.	
5	As per DSS Analysis it has been reported that the KML file of 13 patches having area less than 5 ha are still found uploaded on PARIVESH. The same needs to be revised on the PARIVESH Portal.	In Form A Part-I at the PARIVESH portal, the revised KML file of CA land is uploaded and the 13 patches having area less than 5 ha has been deleted. The screenshot of the KML file with description of CA land patches is attached as Annexure-04 . CA land Patches have been revised as per Guidelines and submitted in Part-1 of the proposal.
6	The State Government has provided the list of CA patches in non-forest land under Mirzapur district which have been found unsuitable for carrying out plantation work. It has been observed that the said areas proposed for CA are un-suitable for plantation and the same are not in conformity with the Ministry's Guidelines dated 13.07.2022. The areas suitable for plantation in conformity with guidelines issued by the Ministry are therefore required to be provided.	As per the Ministry's Guidelines dated 13.07.2022, certain CA patches in non-forest land under Mirzapur district are un-suitable for carrying out plantation work and the reasons thereof have been provided by the respective DFO. Accordingly, the Forest Authorities are requested to carry out plantation on double degraded forest land as per revised MoEF&CC (GOI) Guidelines dated 21.08.2023: "Provisions and guidelines on compensatory afforestation - reg." Point no. 4 (ii) which states that "In case the non-forest land or portion thereof provided by the user agency is not fit for raising compensatory afforestation of a specified density, then additional compensatory afforestation shall be raised on a degraded notified or unclassified forest land under the management control of the Forest Department which is twice in size of such shortfall in the given compensatory afforestation land and the user agency shall also bear the additional cost on such account." Revised CA suitability from respective DFO submitted in Part-1.



Page- 4/7

UltraTech Cement Limited

Unit: Datta Cement Works : SH 5, Post: Datta, Distt. Sonbhadra (UP) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093. Tel.: +91 22 66917800

ADITYA BIRLA



		Refer to the MoEF&CC (GOI) Guidelines dated 21.08.2023 and principle of "Tree for tree and land for land", total 295.420 ha double degraded forest land has been sought from Obra, Renukoot, Mirzapur and Sonbhadra division for tree plantation.
7	After superimposing the KML file of Mining lease over the Forest Compartment Boundary available on the DSS Portal, it has been observed that many forest patches within the Kajrahat and Bhalua Mining leases have not been included in the area proposed for diversion. According, less forest area has been applied for diversion (Copy enclosed). The same needs to be incorporated and revised proposal shall be submitted accordingly.	Please refer to the Government of Uttar Pradesh Order No. 1333/86-2017-169/2016 issued by the Additional Chief Secretary (UP State Government) on 20.06.2017. As per the Joint survey conducted Forest area enhanced for Bhalua and Kajrahat (Dalla) Limestone Mines. Based on CA land availability and unavailability of mining plan for entire area (Forest and non-forest area) of Bhalua Limestone Mines, we are hereby deleting the Bhalua Limestone Mines Forest area from the Revised Forest diversion proposal. Refer to Kajrahat (Dalla) Limestone Mines, Forest area is 404.388 ha and Eco Sensitive Zone of Kaimoor Wildlife Sanctuary is 92.62 ha (Forest area is 55.323ha and non-Forest area is 37.296 ha). After deducting forest area of Eco Sensitive Zone (55.323 ha) and Kanhar River area (17.590 ha) from total forest area (404.388ha), forest area for diversion shall be 331.475 ha. Hence, we have incorporated all forest area in Kajrahat (Dalla) Limestone Mines. (Attached as Annexure-05)
8	The Mining Plan of instant project was prepared and approved in the year 2007 in favour of M/s Jaiprakash Associate Ltd. In this regard the relevance and the validity of the Mining plan after a gap of 15 years needs re-examination. Further it has been	Please take note that the approved mining plan of Kajrahat (Dalla) Limestone Mines indicates that area falling under Eco-Sensitive Zone is a no-working zone. (Undertaking enclosed as Annexure-02) As the revised proposal, it involves only Kajrahat (Dalla) Limestone Mines. The Modified Mining



Page 5/7

UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonbhadra (UP) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093. Tel.: +91 22 66917800

ADITYA BIRLA



intimated by the State Government that No mining /work will be done in the 92.60 ha area falling within the Eco-Sensitive Zone. This 92.6 ha area is to be excluded from the mining plan. The mining plan is therefore required to be revised as per the present site conditions and proposed land use.	Plan for the Kajrahat mining lease was approved on 31.10.2025 and is valid up to 31.03.2030 (Attached as Annexure-06)
---	---

In reference to DIG forest letter on dated 27.11.2023, point wise EDS compliance for the diversion of 344.688 ha. Forest land within Bhalua & Kajrahat Mine area are as given below –

Sr. No.	EDS Raised by MoEF&CC	EDS Reply by User Agency
1	The State Government shall submit the approved Mining Plan in whose favour the LOI is given/mining lease is proposed to be executed, along with the copy of LOI.	<p>The Modified Mining Plan for the Kajrahat (Dalla) mining lease was approved on 31.10.2025, and is valid up to 31.03.2030 (copy enclosed as Annexure-06).</p> <p>The Bhalua limestone forest area is deleted from the revised forest diversion proposal.</p> <p>We would like to place on record that LOI is in favour of the user agency (i.e., M/s UltraTech Cement Limited) attached as Annexure-07.</p>
2	The State Government shall submit the detail of forest land and non-forest land involved in the mining proposal and their land use along with requisite KML files.	A joint survey was conducted as per direction given by Nodal Officer for establishing the forest and non-forest area in Kajrahat (Dalla) and Bhalua Limestone Mines with Revenue department, Forest department and User Agency. Kindly note that as per the Joint survey conducted Forest area enhanced for Bhalua and Kajrahat (Dalla) Limestone Mines. Based on CA land availability and unavailability of mining plan for



Page-6/7

UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonebhadra (UP) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093. Tel.: +91 22 66917800

ADITYA BIRLA



UltraTech

		entire area (Forest and non-forest area) of Bhalua Limestone Mines, we are hereby deleting the Bhalua Limestone Mines Forest area from the Revised Forest diversion proposal. Our Revised proposal in Kajrahat (Dalla) Mining lease is 331.475 ha. The detail of the forest and non-forest area is attached as Annexure-08 .
3	The CA area shall be in favour of the person in whose favour LOI/Mining lease has been given. Therefore, the state government shall provide the related document in this regard.	LOI is in favour of User agency (i.e., M/s UltraTech Cement Limited) and as desired the CA land is already in favour of User agency. Copy of CA land in favour User Agency is enclosed as Annexure-09 and Annexure-10 .

We request your good Office to kindly consider and forward the Proposal to Government of India at the earliest.

Thanking you,

For **UltraTech Cement Limited**



Rajendra Kabra
(Authorised Signatory)

Date: 12-06-2026

Place: Lucknow

Page-7/7



UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonebhadra (UP) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093. Tel.: +91 22 66917800

भाग- II
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7.		परियोजना/स्कीम का स्थान-	मै0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 द्वारा जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत खनन कार्य हेतु कुल 344.688 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।
	I	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
	II	जिला	सोनभद्र
	III	वन प्रभाग	ओबरा वन प्रभाग
	IV	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	344.688 हे0
	V	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन
	VI	हरियाली का घनत्व	0.3
	VII	प्रजाति वार (वैज्ञानिक का नाम) आर परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय); सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0-2 मीटर पर परिगणना और एफ0आर0एल0-4 मीटर संलग्न की जाए	संलग्न है।
	VIII	भूसंरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-शरण के लिए संवेदनशील है।
	IX	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी-	शून्य
	X	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं
	XI	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हाँ/तो तत्संबंधी व्यौरा दें।	नहीं
	XII	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रसिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हों, दें।	नहीं
8.		प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है
9.		क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कारवाई सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	प्रस्ताव में सम्मिलित कुल 344.688 हे0 क्षेत्र में से 26.579 हे0 क्षेत्र घर गैर वानिकी कार्य होना पाया गया। जिसका विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न है। उक्त सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि 26.579 हे0 में सभी कार्य उ0प्र0सीमेन्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा वर्ष 1978 में किये गये थे। इत सन्दर्भ में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक-16.02.2021 मय साक्ष्य प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
10.		प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	
	I	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अयक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इनकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, भू-खण्डों का आकार।	संलग्न है।
	II	वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित/वनेतर/ अयक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
	III	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण अनुरूपी लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

(प्रखर मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

	IV	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	658.62825 लाख
	V	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित कि प्रतिपूरकया जाए)	संलग्न है।
11.		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विषयतः उपयुक्त कालम 7 (VI, XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।	संलग्न है
12.		विभाग / जिला प्रोफाइल	
	I	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	6788 वर्ग किलोमीटर।
	II	जिले का वन क्षेत्र	3782.86 वर्ग किलोमीटर
	III	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	69 मामले / 793.744 हे०
	IV	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण।	-
	क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	842.754 हे०
	ख	वनेत्तर भूमि पर	-
	V	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	-
	क	वन भूमि पर	842.754 हे०
	ख	वनेत्तर भूमि पर	-
13.		प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की दिशेष सिफारिश।	प्रश्नगत 344.688 हे० वन भूमि पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टी में सम्मिलित रही है तथा उक्त भूमि पर तत्समय में उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि० व उ०प्र० खनिज विकास निगम लि० द्वारा खनन कार्य भी किया गया है, ऐसे में सम्बन्धित अधिनियमों, नियमों एवं शासनादेशों का अनुपालन करते हुए खनन कार्य हेतु अनुमति दिये जाने पर विचार किया जा सकता है तथा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 431 से 435 में उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों एवं तत्सम्बन्धी नियमों से सुसंगत होने की दशा में प्रश्नगत वन भूमि पर खनन कार्य किये जाने की अनुमति दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

तिथि
स्थान ओबरा ।

हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मोहर

(प्रखर मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

Ultra Tech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक-4933 / मी0क्ष0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक, जून 18, 2021
सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत में अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0, डाला सोनभद्र के 344.688 हे0 आरक्षित वन भूमि के खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/MIN/47074/2020 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा के पत्रांक-2887 / ओबरा / 15 भू0ह0 दिनांक-14.06. 2021,

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा ने अपने कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 344.688 हे0 क्षेत्र वन भूमि के खनन कार्य अनुमति के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव FP/UP/MIN/47074/2020 है जिसकी परीक्षणोपरान्त वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में मय सी0डी0 संस्तुति सहित निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

1. प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण:-

- i. उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक-24.10.1973 के क्रम में वर्ष 1976 में ग्राम-कोटा व पड़रछ (डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स से सम्बन्धित) में कुल 751 हे0 क्षेत्र का उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 के पक्ष में 20 वर्ष हेतु लाईम स्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। वर्ष 1996 में खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी। तत्पश्चात उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 द्वारा लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया। इसी प्रकार वर्ष 1982 में ग्राम-कोटा व बिल्ली मारकुण्डी (भलुआ लाईम स्टोन से सम्बन्धित) में कुल 643.433 हे0 क्षेत्र में उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लि0 के पक्ष में 20 वर्ष हेतु लाईम स्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। वर्ष 2002 में खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी। तत्पश्चात उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लि0 द्वारा लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया।
- ii. उल्लेखनीय है कि डाला कजरहट एवं भलुआ माईन्स से सम्बन्धित ग्रामों की धारा 4 की अधिसूचना निम्नलिखित दिनांक को अधिसूचित की गयी थी-

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

क्र०सं०	ग्राम का नाम	धारा 4 की अधिसूचना संख्या	दिनांक
1	कोटा	1. 270/14-2-4(15)-74	दि० 22.02.78
		2. 6288/14-2-4(15)-74	दि० 02.03.77
2	बिल्ली मारकुण्डी	1. 6865/14-ख-4(11)-70	दि० 21.12.73
		2. 3723/14-2-4(67)-69	दि० 05.11.69
3	पड़रछ	5380/14-ख-4(27)-70	दि० 10.09.70

मा० सर्वोच्च न्यायालय के याचिका संख्या 1061/1982 वनवासी सेवा आश्रम बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक-20.11.1986 के क्रम में हुयी वन्दोवस्ती की कार्यवाही में वन वन्दोवस्त अधिकारी/अपर जिला जज द्वारा वर्ष 1994 में प्रश्नगत क्षेत्र को आरक्षित वन बनाये जाने के पक्ष में निर्णय पारित किया गया।

- iii. इसी दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की फ़ैक्ट्री के लगातार घाटे में चलने के कारण उसे Sick Industries घोषित किया गया तथा मा० उच्च न्यायालय के देख रेख में उक्त फ़ैक्ट्री को Wound Up कर लिक्विडेट किये जाने का निर्णय लिया गया।
- iv. उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला के लिक्विडेशन के दौरान डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स का कुल 751हे० क्षेत्र तथा भलुआ माइन्स से सम्बन्धित 643.433 हे० क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की परिसम्पत्ति मानते हुए विज्ञप्ति किया गया। विज्ञप्ति में यह उल्लेख किया गया कि वन भूमि में निहित खनन पट्टे का नवीनीकरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त किया जायेगा। तत्कम में मा० उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला के लिक्विडेशन की कार्यवाही समाप्त की गयी तथा उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की परिसम्पत्तियों को में० जे०पी० एसोसिएट्स लि० को हस्तान्तरित कर दिया गया।
- v. तत्पश्चात दिनांक-02.12.2007 को डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे के कुल क्षेत्रफल 751हे० में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 380.635हे० को छोड़कर गैर वन भूमि 370.365हे० भूमि को 01.05.1996 से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि० के पक्ष में कतिपय शर्तों के अधीन नवीनीकृत किया गया।

इसी प्रकार दिनांक-07.11.2007 को भलुआ लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे का कुल क्षेत्रफल 643.433हे० में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 50.606हे० को छोड़कर शेष 592.827हे० भूमि को 08.11.2002 से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि० के पक्ष में कतिपय शर्तों के अधीन नवीनीकृत किया गया।

उक्त कार्यवाही के दौरान यह अपेक्षित था कि डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स एवं भलुआ लाईम स्टोन माईन्स के वन भूमि पर खनन किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

- vi. किन्तु में० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के स्थान पर डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स के अन्दर 380.435हे० एवं भलुआ माइन्स के 19.657 वन भूमि को धारा 4 से पृथक किये जाने हेतु वन वन्दोवस्त अधिकारी/जिला जज के न्यायालय में क्लेम दाखिल किया गया

(Signature)

तथा उक्त भूमि को धारा 4 में विज्ञापित वन भूमि से पृथक करा लिया गया तथा उ०प्र० शासन द्वारा दिनांक-12.09.2008 को, वर्ष 2008 में ग्राम-कोटा का धारा 20 की अधिसूचना निर्गत कर वन वन्दोवस्त अधिकारी/जिला जज द्वारा पारित निर्णयों को स्वीकार कर लिया गया। जिसके फलस्वरूप डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स एवं भलुआ लाईम स्टोन माईन्स में कुल 400.092हे० वन भूमि को गैर वन भूमि का दर्जा प्राप्त हुआ।

- vii. प्रश्नगत प्रकरण में मा० सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या 2469/2009 को मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया गया तथा उक्त याचिका एफ०ए० संख्या 1166/2015 में परिवर्तित हो गयी, जिसमें पारित निर्णय दिनांक-04.05.2016 को मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा अपर जिला जज/जिला जज द्वारा भूमि को धारा 4 से पृथक किये जाने सम्बन्धी निर्णयों को निरस्त कर दिया गया तथा उ०प्र० सरकार को प्रश्नगत क्षेत्रों का आरक्षित वन में सम्मिलित करते हुए, पुनः संशोधित धारा 20 की अधिसूचना जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- viii. तत्पश्चात् में० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही को त्वरित करने हेतु मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष एम०ए० संख्या 471/2016 योजित किया गया। जिसमें दिनांक-30.05.2016 को निर्णय पारित कर प्रश्नगत क्षेत्र से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 06 माह के अन्दर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु उ०प्र० सरकार को निर्देशित किया गया।
- ix. इस प्रकार में० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में धारा 4 से पृथक कराया गया 380.435हे० भूमि एवं भलुआ माईन्स कि 19.657हे० वन भूमि, संशोधित धारा 20 की अधिसूचना निर्गत हो जाने के उपरान्त आरक्षित वन भूमि का दर्जा प्राप्त कर चुका है।
- x. उल्लेखनीय है कि मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-30.05.2016 में में० जे०पी० एसोसिएट्स, लि० को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिया गया था। किन्तु वर्ष 2017 में जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों को में० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० को विक्रय कर दिया गया। अतः वर्तमान में में० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
- xi. वर्तमान प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी(में० अल्ट्राटेक सीमेन्ट, लि०) द्वारा डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में स्थित समस्त वन भूमि 380.635हे० में से इकोसेन्सिटिव जोन से 01 किमी० के अन्दर पड़ने वाले क्षेत्र को छोड़कर 294.082हे० भूमि पर तथा भलुआ लाईम स्टोन माईन्स में स्थित समस्त वन भूमि 50.606हे० पर गैर वानिकी (खनन) कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है।
- xii. डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे का कुल क्षेत्रफल 751हे० में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 380.635हे० को छोड़कर गैर वन भूमि 370.365हे० भूमि पर वर्ष 2007 में उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि० के पक्ष में खनन हेतु लीज नवीनीकृत किया गया था किन्तु डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में 380.635हे० वन भूमि पर वर्ष 1976 में जारी की गयी खनन लीज (जो कि वर्ष 1996 में समाप्त हो चुकी है) को वर्ष 1996 के उपरान्त नवीनीकृत नहीं किया गया है। इसी प्रकार भलुआ लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे का कुल क्षेत्रफल 643.433हे० में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 50.606हे० को छोड़कर शेष 592.

R

827हे० भूमि पर वर्ष 2007 में उ०प्र० खनिज विकास निगम लि० के पक्ष में खनन हेतु नवीनीकृत किया गया था, किन्तु 50.606हे० वन भूमि पर वर्ष 1982 में जारी की गयी खनन लीज (जो कि वर्ष 2002 में समाप्त हो चुकी है) को वर्ष 2002 के उपरान्त नवीनीकृत नहीं किया गया है।

2. प्रस्ताव से सम्बन्धित 344.688हे० आरक्षित वन के सापेक्ष गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की स्थिति का विवरण:-

- i. प्रस्ताव से सम्बन्धित कुल 344.688हे० क्षेत्र में से 235.737हे० गैर वनभूमि भूमि मीरजापुर वन प्रभाग में तथा 108.951हे० गैर वन भूमि कैमूर वन्य जीव प्रभाग में दी जा रही है।
- ii. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि के सम्बन्ध में निम्नवत स्थिति स्पष्ट की गयी है:-

क्र०सं०	भूमि का क्षेत्रफल	वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या
1	133.307हे०	वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त
2	90.837हे०	वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त परन्तु अतिक्रमित
3	120.544हे०	वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त

- iii. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त क्षेत्र 120.544 हे० के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार की गाईड लाईन का उल्लेख करते हुए, "Tree for tree and land for land" के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त गैर वन भूमि के समतुल्य ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत सकल क्षेत्रफल 120.544हे० (कुल 121हे०) वन भूमि को वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है।
- iv. वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त किन्तु अतिक्रमित 90.837हे० गैर वन भूमि को वर्तमान में अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है। उक्त के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage I) प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा अतिक्रमित भूमि को खाली कराकर वन विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा।

3. प्रस्ताव से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:-

- i. प्रस्ताव में सम्मिलित कुल 344.688हे० क्षेत्र में से 26.579हे० क्षेत्र पर गैर वानिकी कार्य होना पाया गया। जिसका विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
- ii. भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के सम्बन्ध में जारी हैण्ड बुक के चैप्टर 7 में 7.2 में निम्नवत उल्लेख किया गया है:-

1.2 The Supreme Court of India in its order of 6th July 2011 issued guidelines so as to not create fait accompli situation in the matter of diversion of forest land under the FCA, 1980 Therefore, in the case of new mining leases/projects having forest land in part or in full, approval under FCA for diversion of entire forest land located within the mining lease/project is to be obtained before execution/renewal of mining lease/ project.

ited

✓

उल्लेखनीय है कि डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में 380.635हे० वन भूमि स्थित है किन्तु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में कैमूर वन्य जीव विहार के इको सेंसिटिव जोन में स्थित 86.553हे० वन भूमि को शामिल नहीं किया गया है तथा डाला कजरहट लाईम स्टोन माईन्स में स्थित 380.635हे० वन भूमि में से 294.082हे० वन भूमि का ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा द्वारा उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों एवं तत्सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत सुसंगत होने की दशा में प्रश्नगत वन भूमि पर खनन कार्य किये जाने की अनुमति दिये जाने की संस्तुति की जाती है। प्रश्नगत प्रस्ताव को इस स्तर से ऑन लाईन सबमिशन कर 3 प्रतियों में एतद्सह संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक—प्रस्ताव तीन प्रति।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

संख्या— अ/समदिनांक

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा को उपरोक्त प्रस्ताव 03 प्रतियों में संलग्नकर इस आशय से प्रेषित है कि प्रश्नगत प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक—प्रस्ताव तीन प्रति।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

भाग- III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत में 0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि०, डाला सोनभद्र के 344.688 हे० आरक्षित वन भूमि के खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/MIN/47074/2020 30वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करे	निरीक्षण दिनांक- 16.06.2021 निरीक्षण टिप्पणी संलग्नक है।
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारशें।	प्रश्नगत प्रस्ताव के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों एवं तत्सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत सुसंगत होने की दशा में प्रश्नगत वन भूमि पर खनन कार्य किये जाने की अनुमति दिये जाने की रास्तुति की जाती है

दिनांक 18-06-2021

स्थान-मोरजापुर

हस्ताक्षर
मोरजापुर के
निरीक्षण

नाम

सरकारी मोहर

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

निरीक्षण टिप्पणी

में0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 द्वारा जनपद सोनभद्र में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत खनन कार्य हेतु कुल 344.688 हे0 का वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव:-

दिनांक-16.06.2021 को प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा व प्रयोक्ता एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री राहुल सहगल, यूनिट हेड, श्री विवेक खोसला, फॉर्सेनल हेड खनन, श्री डी0के0 पाण्डेय, जी0एम0 खनन, श्री अतुल गहराना, जियोलाजिस्ट, श्री प्रदीप शर्मा, सर्वेयर के साथ प्रश्नगत क्षेत्र का मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश में आया:-

i. उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक-24.10.1973 के क्रम में वर्ष 1976 में ग्राम-कोटा व पड़रछ (डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स से सम्बन्धित) में कुल 751 हे0 क्षेत्र का उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 के पक्ष में 20 वर्ष हेतु लाईम स्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। वर्ष 1996 में खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी। तत्पश्चात उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम लि0 द्वारा लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया।

इसी प्रकार वर्ष 1982 में ग्राम-कोटा व बिल्ली मारकुण्डी (भलुआ लाईम स्टोन से सम्बन्धित) में कुल 643.433 हे0 क्षेत्र में उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लि0 के पक्ष में 20 वर्ष हेतु लाईम स्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। वर्ष 2002 में खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी। तत्पश्चात उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लि0 द्वारा लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया।

ii. उल्लेखनीय है कि डाला कजरहट एवं भलुआ माईन्स से सम्बन्धित ग्रामों की धारा 4 की अधिसूचना निम्नलिखित दिनांक को अधिसूचित की गयी थी:-

क्र0सं0	ग्राम का नाम	धारा 4 की अधिसूचना संख्या	दिनांक
1	कोटा	1. 270 / 14-2-4(15)-74	दि0 22.02.78
		2. 6288 / 14-2-4(15)-74	दि0 02.03.77
2	बिल्ली मारकुण्डी	1. 6865 / 14-ख-4(11)-70	दि0 21.12.73
		2. 3723 / 14-2-4(67)-69	दि0 05.11.69
3	पड़रछ	5380 / 14-ख-4(27)-70	दि0 10.09.70

मा० सर्वोच्च न्यायालय के याचिका संख्या 1061/1982 वनवासी सेवा आश्रम बनाम् उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक-20.11.1986 के क्रम में हुयी वन्दोवस्ती की कार्यवाही में वन वन्दोवस्त अधिकारी/अपर जिला जज द्वारा वर्ष 1994 में प्रश्नगत क्षेत्र को आरक्षित वन बनाये जाने के पक्ष में निर्णय पारित किया गया।

- iii. इसी दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की फैक्ट्री के लगातार घाटे में चलने के कारण उसे Sick Industries घोषित किया गया तथा मा० उच्च न्यायालय के देख रेख में उक्त फैक्ट्री को Wound Up कर लिक्विडेट किये जाने का निर्णय लिया गया।
- iv. उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला के लिक्विडेशन के दौरान डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स का कुल 751हे० क्षेत्र तथा भलुआ माइन्स से सम्बन्धित 643.433 हे० क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की परिसम्पत्ति मानते हुए विज्ञप्ति किया गया। विज्ञप्ति में यह उल्लेख किया गया कि वन भूमि में निहित खनन पट्टे का नवीनीकरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश के क्रम में आवश्यक कार्रवाई करने के उपरान्त किया जायेगा। तत्क्रम में मा० उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला के लिक्विडेशन की कार्यवाही समाप्त की गयी तथा उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन, डाला की परिसम्पत्तियों को में० जे०पी० एसोसिएट्स लि० को हस्तान्तरित कर दिया गया।
- v. दिनांक-02.12.2007 को डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे के कुल क्षेत्रफल 751हे० में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 380.635हे० को छोड़कर गैर वन भूमि 370.365हे० भूमि को 01.05.1996 से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि० के पक्ष में कतिपय शर्तों के अधीन नवीनीकृत किया गया।

इसी प्रकार दिनांक-07.11.2007 को भलुआ लाईम स्टोन माईन्स के खनन पट्टे का कुल क्षेत्रफल 643.433हे० में से धारा 4 में अधिसूचित वन भूमि 50.606हे० को छोड़कर शेष 592.827हे० भूमि को 08.11.2002 से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि० के पक्ष में कतिपय शर्तों के अधीन नवीनीकृत किया गया।

- उक्त कार्यवाही के दौरान यह अपेक्षित था कि डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स एवं भलुआ लाईम स्टोन माईन्स के वन भूमि पर खनन किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- vi. किन्तु में 0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के स्थान पर डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स के अन्दर 380.435हे0 एवं भलुआ माईन्स के 19.657 वन भूमि को धारा 4 से पृथक किये जाने हेतु वन वन्दोवस्त अधिकारी/जिला जज के न्यायालय में क्लेम दाखिल किया गया तथा उक्त भूमि को धारा 4 में विज्ञापित वन भूमि से पृथक करा लिया गया तथा उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक-12.09.2008 को, वर्ष 2008 में ग्राम-कोटा का धारा 20 की अधिसूचना निर्गत कर वन वन्दोवस्त अधिकारी/जिला जज द्वारा पारित निर्णयों को स्वीकार कर लिया गया। जिसके फलस्वरूप डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स एवं भलुआ लाईम स्टोन माईन्स में कुल 400.092हे0 वन भूमि को गैर वन भूमि का दर्जा प्राप्त हुआ।
- vii. प्रश्नगत प्रकरण में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या 2469/2009 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किया गया तथा उक्त याचिका एफ0ए0 संख्या 1166/2015 में परिवर्तित हो गयी, जिसमें पारित निर्णय दिनांक-04.05.2016 को मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा अपर जिला जज/जिला जज द्वारा भूमि को धारा 4 से पृथक किये जाने सम्बन्धी निर्णयों को निरस्त कर दिया गया तथा उ0प्र0 सरकार को प्रश्नगत क्षेत्रों का आरक्षित वन में सम्मिलित करते हुए, पुनः संघोधित धारा 20 की अधिसूचना जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- viii. तत्पश्चात में 0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही को त्वरित करने हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष एन0ए0 संख्या 471/2016 योजित किया गया। जिसमें दिनांक-30.05.2016 को निर्णय पारित कर प्रश्नगत क्षेत्र से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 06 माह के अन्दर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु उ0प्र0 सरकार को निर्देशित किया गया।
- ix. इस प्रकार में 0 जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में धारा 4 से पृथक कराया गया 380.435हे0 भूमि एवं भलुआ माईन्स कि 19.657हे0

— 4 —

वन भूमि, संशोधित धारा 20 की अधिसूचना निर्गत हो जाने के उपरान्त आरक्षित वन भूमि का दर्जा प्राप्त कर चुका है।

- x. उल्लेखनीय है कि मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-30.05.2016 में मे० जे०पी० एसोसिएट्स, लि० को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अग्रतर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिया गया था। किन्तु वर्ष 2017 में जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों को मे० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० को विक्रय कर दिया गया। अतः वर्तमान में मे० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
- xi. वर्तमान प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी (मे० अल्ट्राटेक सीमेन्ट, लि०) द्वारा डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माईन्स में स्थित समस्त वन भूमि 380.635हे० में से इकोसेन्सिटिव जोन से 01 किमी० के अन्दर पड़ने वाले क्षेत्र को छोड़कर 294.082हे० भूमि पर तथा भलुआ लाईम स्टोन माईन्स में स्थित समस्त वन भूमि 50.606हे० कुल 344.688हे० आरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी (खनन) कार्य किये जाने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया है।
- xii. खनन कार्य हेतु प्रस्तावित कुल 344.688हे० क्षेत्र पूर्व में उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि० व उ०प्र० खनिज विकास निगम लि० के पक्ष में पूर्व में स्वीकृत लीज का भाग है।
- xiii. खनन कार्य हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन क्षेत्र मौके पर हरा-भरा जंगल के रूप में पाया गया तथा विभिन्न व्यास श्रेणी के भिन्न-भिन्न प्रजाति के कुल 16534 वृक्ष जो मौके पर मौजूद होना प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा द्वारा बताया गया, जिसका नियमानुसार छपान कर कटान किया जाना है तथा जगह-जगह पर खनन कार्य, बारुद गोदाम, मिक्सिंग शेड, कम्प्रेसर हाउस इत्यादि का निर्माण हुआ पाया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	कार्य/क्षेत्र का विवरण	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे०फु)
1	खनन कार्य	3303, 3196, 3205, 3201, 5844	26.485
2	बारुद गोदाम	5857	0.015
3	मिक्सिंग शेड	3211	0.001
4	कम्प्रेसर हाउस	3211	0.024
5	रेस्ट होल्टर	3211	0.008
6	सोन नदी से खनन कार्य, कारखाना, एवं आवासीय परिसर हेतु घाटी की पाईप लाईन का निर्माण	3203, 3204, 3211	0.0464
योग:-			26.579

— 5 —

उक्त गैर वानिकी कार्य के सम्बन्ध में अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० द्वारा अवगत कराया गया है कि गैर वानिकी कार्य उ०प्र० सीमेन्ट कारपोरेशन, लि० द्वारा किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत 344.688 हे० वन भूमि पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टों में सम्मिलित रही है तथा उक्त भूमि पर तत्समय में उ०प्र० राज्य सीमेन्ट निगम लि० व उ०प्र० खनिज विकास निगम लि० द्वारा खनन कार्य भी किया गया है, ऐसे में सम्बन्धित अधिनियमों, नियमों एवं शासनादेशों का अनुपालन करते हुए खनन कार्य हेतु अनुमति दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों एवं तत्सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत सुसंगत होने की दशा में प्रश्नगत वन भूमि पर खनन कार्य किये जाने की अनुमति दिये जाने की संस्तुति की जाती है तथा प्रश्नगत प्रस्ताव की तीन प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव की 02 प्रति उच्च स्तर पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

(रमेश चन्द्र झा)

मुख्य वन संरक्षक,

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

FP/UP/MIN/47074/2020

भाग-IV

21

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक या वन विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाना है)

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और विशेष सिफारिशें।	
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट रूप से समीक्षा की जानी चाहिए और उस पर टिप्पणियाँ दी जानी चाहिए)	cc. अ. गुप्ता की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।

दिनांक : 27/8/21

स्थान :

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

18

Anupam Gupta
Chief Conservator of Forests/Head of Office
Forest Conservation Act, 1980
U.P. Lucknow

UltraTech Cement Limited
Unit: Datta Cement Works

Authorised Signatory

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारीको अगर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।)

जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मै0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 डाला, सोनभद्र द्वारा कजरहट (डाला) लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 294.082 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं भलुआ लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 50.606 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 344.688 हे0 आरक्षित वनभूमि पर खनन कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत 10 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/माईन/47074/2020)

राज्य सरकार की सिफारिशों - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1401/81-2-2021-800(155)/2021 दिनांक 21 सितम्बर, 2021 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

हस्ताक्षर

(Signed by (राज्यीय अधिकारी)

Date: 21-09-2021 15:32:21

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

Reason: Approved

(राज्यीय अधिकारी)

एडिशनल

मन्त्री वरत, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार।

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

**UNDERTAKING**

We, UltraTech Cement Limited (Unit: Dalla Cement Works- User Agency) hereby confirm that, the submitted Forest Clearance Proposal No- FP/UP/MIN/47074/2020 under section 2 (ii) of Forest Conservation Act 1980 over an extent of 331.475 ha forest land for Mining works proposed in village Kota and Padrach, Tehsil-Obra, District Sonbhadra U.P.

We hereby undertake that UltraTech Cement Limited will not do any mining or any other activities in Kaimoor ESZ area of 92.62ha i.e. (involving 55.323 ha forest land and 37.296 ha non-forest land) falling within the Eco Sensitive Zone of Kaimoor Wildlife Sanctuary.

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

**UltraTech Cement Limited**

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonbhadra (U.P.) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Tel.: +91 22 66917800



Annexure 03

Undertaking for Implementation of Mitigation Plan

Full title of the project:

Proposal for diversion of **331.475 hectares of Reserve Forest land** under Kajrahat (Dalla) Limestone Mine for mining purposes in favour of **UltraTech Cement Limited, Unit – Dalla Cement Works, Dalla, falling under Obra Forest Division, District Sonbhadra, Uttar Pradesh.**

Proposal No:

FP/UP/MIN/47074/2020

Forest land proposed for Diversion:

331.475 hectares

M/s **UltraTech Cement Limited (UTCL)** hereby undertakes and affirms that the **Mitigation Plan** shall be prepared and submitted as part of **Stage-II Compliance** of the Forest Clearance proposal.

The study for preparation of the Mitigation Plan is being conducted by **Motilal Nehru National Institute of Technology (MNIT), Allahabad**, and the same shall be submitted by M/s UltraTech Cement Limited.

This undertaking is being submitted in good faith along with the **acceptance letter issued by Motilal Nehru National Institute of Technology (MNIT), Allahabad, dated 30.04.2026**, and shall be binding on **M/s UltraTech Cement Limited** to the extent stated herein.



Name: Rajendra Kabra

Designation: COO

For and on behalf of: UltraTech Cement Limited

Place: Lucknow

Date: 12-06-2026

UltraTech
CEMENT
The Engineer's Choice

UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonbhadra (UP) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093. Tel.: +91 22 66917800

Google Earth Pro

File Edit View Tools Add Help

Search

Computer repair near Boston

Get Directions History

Places

- My Places
- Temporary Places
- Kaimoor CA Land KML.kml
 - Kaimoor District_60.541 Ha
 - Patch 16_8 Parasia Mudhpeli
 - Patch 35_8 Badeuha
 - Patch 20_6,717 Paudi Rampur
 - Patch 16A_22,6 Parasia Mudhpeli
 - Patch 1_15,224 Bodeuha
 - Chitrakoot District_72.192 Ha
 - Kusumi_40,254 ha.kmz
 - Kusumi_40,254 ha
 - Chureh_Kesaruva
 - Patch 1A-2_21,13 ha
 - Patch 1A-1_10,81 ha
 - Mirzapur CA Land KML.kml
 - Mirzapur District_203.812 Ha
 - Patch 36_11,69 Raikara
 - Patch 34_25,378 Unwa
 - Patch 22_30,111 Sindhora
 - Patch 8_127,502 Chak Gambhira
 - Patch 13_9,131 Manikpur

Layers

- Primary Database
- Announcements
- Borders and Labels
- Places
- Photos
- Roads
- 3D Buildings
- Weather
- Gallery
- More
- T

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

Image Landsat Copernicus

Google Earth

Imagery Date: 1/1/2021 24°57'00.66" N 82°29'24.47" E elev 0 m eye alt 231.83 km



JUSTIFICATION FOR LOCATING THE PROJECT IN FOREST LAND AND DETAILS OF ALTERNATIVES EXAMINED

Dalla Cement Works (DCW) along with captive mine was acquired from Jaiprakash Associates Limited (JAL) by UltraTech Cement Limited pursuant to Scheme of Arrangement sanctioned by NCLT Bench at Mumbai on 15.02.2017 and NCLT Bench at Allahabad on 02.03.2017 respectively. The Scheme was made effective from 29.06.2017 by the resolutions passed at meeting of Board of Directors of Ultratech and JAL held on 29.06.2017 respectively. Earlier JAL had acquired the Dalla Cement Factory along with its captive mines through sale of assets of Uttar Pradesh State Cement Corporation Limited (UPSCCL) (In Liquidation) as approved by the order dated 11-10-2006 read with order dated 12.10.2007 of the Honorable Allahabad High Court. Kajrahat Limestone Mines & Bhalua Limestone Mines are part of MOI whose non forest area is only available for mining and lease for the forest area has not been executed /granted till date.

The Existing Proposal (Online No. FP/UP/MIN/47074/2020) was submitted for 344.688 ha in 2020. The total forest land of Kajrahat (Dalla) and Bhalua Limestone Mines was 380.635+50.606=431.241 hectares. We have applied for diversion of Forest 344.688 hectares after excluding land covered by Eco Sensitive Zone (68.963 ha) and Kanhar river area (17.590 ha).

As per EDS raised by MoEF&CC on dated 14.11.2022 for Proposal No. FP/UP/MIN/47074/2020 EDS point No. (7) "After superimposing the KML file of Mining lease over the Forest Compartment Boundary available on the DSS Portal, it has been observed that many forest patches within the Kajrahat and Bhalua Mining leases have not been included in the area proposed for diversion. According, less forest area has been applied for diversion. The same needs to be incorporated and revised proposal shall be submitted accordingly" and DIG Forest letter dated 27.11.2023 point No. (2) "The State Government shall submit the detail of forest land and non-forest land involved in the mining proposal and their land use along with requisite KML files." In compliance of the above and DFO Obra letter no. 2088/ओबरा/ 15 भू० ह०/ दिनांक 28.02.2024 a joint survey was conducted with Forest Department, Revenue Department and User agency.

We have now received confirmation that the forest area in Kajrahat (Dalla) Mining Lease is 404.388 ha and Eco Sensitive Zone of Kaimoor Wildlife Sanctuary is 92.62 ha (Forest area is



UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonbhadra (UP) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093. Tel.: +91 22 66917800

ADITYA BIRLA



55.323ha and non-Forest area is 37.296 ha). Accordingly, Forest area for the diversion is 331.475 ha for proposal no. **FP/UP/MIN/47074/2020**. Joint survey was conducted for establishing forest and non-forest area.

As per the Joint survey conducted, Forest area enhanced for Bhalua Limestone Mines as well. In view of paucity of Compensatory Afforestation land and unavailability of valid Mining plan for forest area, we are hereby deleting the Bhalua Limestone Mines Forest area from the Revised Forest diversion proposal. Forest diversion of Bhalua Limestone Mine shall be taken after satisfying the above specified condition.

Accordingly, we would like to keep only forest area of Kota and Pdrach Village in Kajrahat (Dalla) Limestone Mines for Revised Proposal (331.475 ha). We have received permission of edit our proposal from Nodal Officer vide letter No. 834 / 11- सी - FP/UP/MIN/47074/2020, लखनऊ dated 09.09.2025.

Refer to EDS of MOEF dated 14.11.2022 and minute of meeting of August 2023 issued by Nodal Officer, joint survey for establishing the forest and non-forest area in Kajrahat (Dalla) and Bhalua Limestone Mines was conducted.

Joint survey was conducted for establishing forest and non-forest area under your guidance. We have now received confirmation that the forest area in Kajrahat Mining Lease is 404.388 ha and Eco Sensitive Zone of Kaimoor Wildlife Sanctuary is 92.62 ha (Forest area is 55.323ha and non-Forest area is 37.296 ha). Accordingly, we would like to edit area in our proposal no. **FP/UP/MIN/47074/2020**.

Kindly note that as per the Joint survey conducted Forest area enhanced for Bhalua Limestone Mines as well. In view of paucity of Compensatory Afforestation land and unavailability of valid Mining plan for forest area, we are hereby deleting the Bhalua Limestone Mines Forest area from the Revised Forest diversion proposal. Forest diversion of Bhalua Limestone Mine shall be taken after satisfying the above specified condition.

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory



UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonebhadra (UP) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093. Tel.: +91 22 66917800



Accordingly, we would like to keep only forest area of Kota and Padrach Village in Kajrahat (Dalla) Limestone Mines for Revised Proposal (331.475 ha).

Village/ Lease	Forest area (ha)	Non-Forest area (ha)	Total lease area (ha)	Forest in ESZ (ha)	Non-Forest in ESZ (ha)	Total ESZ area in lease (ha)	River area in lease (Forest) (ha)	FC proposal (Excluding forest area of River and ESZ) (ha)	Non-Forest area for the proposal (ha)
Kota	336.161	330.164	666.325	52.344	29.776	82.120	8.440	275.377	300.388
Padrach	68.227	16.448	84.675	2.979	7.520	10.499	9.150	56.098	8.928
Total	404.388	346.612	751.000	55.323	37.296	92.619	17.590	331.475	309.316

The details of limestone reserves which are available in non-forest and forest area of the Kajrahat (Dalla) Limestone Mines is given in the following table:

Sr. No.	Forest area for proposal (ha)	Non-Forest area for proposal (ha)	Limestone Reserve in Non-Forest (miot)	Limestone Reserve/Resource in Forest Area (miot)
1	331.475	309.316	30.629	217.514

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory



UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonebhadra (UP) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093. Tel.: +91 22 66917800

ADITYA BIRLA



Seen from the above that 71.01% limestone are blocked because of non-availability of lease in the forest area which was under possession of the UPSCCL earlier when DCW was functioning and the mining activities were going on since 1976. Thereafter, the mines stood transferred to JAL pursuant to the order Dated 12.10.2007 on the Honorable Allahabad High Court as stated above. It is, therefore, required to transfer this forest land to enable UltraTech Cement Limited to conduct mining operation for which Dalla Cement Works has been established and the same limestone is also required for future expansion of Dalla Cement Works which was established keeping in mind availability of total limestone reserves.

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory



UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonebhadra (UP) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093. Tel.: +91 22 66917800

Annexure 06

By e-mail

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES
OFFICE OF THE REGIONAL CONTROLLER OF MINES, JABALPUR

No. MCDR-MPC0LST/34/2025-JBP-
IBM_RO_JBP/ROMP-32/2025-26

Dt : 31/10/2025

Shri/M/s. ULTRATECH CEMENT LIMITED ,
B Wing, Ahura Centre, 2nd Floor Mahakali Caves Road Andheri (East),

Sub Approval of Review of Mining Plan in respect of your DALLA Mining Lease Area for Limestone over an area of 751.000 Ha. situated in
: Kota Village, Obra Taluka, Sonbhadra District of Uttar Pradesh State.

Ref : (i) Your Letter No. NIL dated 10/09/2025 submitting Draft Digital copy of Review Mining Plan in respect of aforesaid M.L.Area.
(ii) This office letter of even no. dated 01/10/2025.
(iii) Your Letter No. NIL dated 31/10/2025 submitting final Digital copy of Review of Mining Plan in respect of aforesaid applied ML
area.

Sirs,

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 5 of the Mines & Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 read with Government of India Order No.S.O.445(E) dated 28.04.1987 and S.O. 1857(E) dated 18th May, 2016; I hereby approve the above said Review of Mining Plan alongwith Progressive Mine Closure Plan (PMCP). This approval is subject to the following conditions:

A. General Conditions:

1. That the Review of Mining Plan is approved without prejudice to any other laws applicable to the mine / area from time to time whether made by the Central Government, State Government or any other authority.
2. That this approval of the Review of Mining Plan does not in any way imply the approval of the Government in terms of any other provisions of the Mines & Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 or the Mineral Concession Rules, 1960 or any other laws including Forest (Conservation) Act, 1980, Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under.
3. That the Review of Mining Plan is approved without prejudice to any other order or direction from any court of competent jurisdiction.
4. The provisions of the Mines Act, 1952 and Rules and Regulations made thereunder including submission of notices of opening, appointment of manager and other statutory officials as required by the Mines Act, 1952 shall be complied with.
5. If anything is found to be concealed as required by the Mines Act in the contents of the mining plan and the proposal for rectification has not been made, the approval shall be deemed to have been withdrawn with immediate effect.
6. The execution of Review of mining plan shall be subjected to vacations of prohibitory orders / notices, if any.
7. A copy of ELA/EMP Report approved by MOEF, New Delhi should be submitted to this office within one month of its approval alongwith a copy of their approval letter.
8. This approval for proposed mining operation and associated activities is restricted to the mining lease area only from this date. The mining lease area is as shown on the statutory plans by the Lessee/QP/Applicant and Indian Bureau of Mines has not undertaken any survey verification of mining lease boundary on the ground or authentication of DGPS survey submitted.
9. Your attention is invited to the Supreme Court interim order in W.P. (C) No. 202 dated 12.12.1996 for compliance. The approval of above said Mining Plan is therefore, issued without prejudice to and is subject to the said directions of the Supreme Court as applicable.
10. The details of grant / execution of the lease by State Government, whenever such an order is passed may be intimated to this office.
11. This department does not undertake any responsibility regarding correctness of the boundaries of the lease area shown on the ground.
12. At any stage, if it is observed that the information furnished in the document are incorrect or misrepresent facts, the approval of the document shall be revoked with immediate effect.
13. ^^The approval of Review of Mining Plan is subject to the compliance of CCOM's Circular No. 2/2010 regarding submission of Geo-referenced Cadastral Map showing disposition of the lease area certified by competent authority of State Government within 6 months from the date of recognition of the agency by the State Government to undertake such survey or from the date of lease execution whichever is earlier. (^^ If applicable)
14. The Final Mine Closure Plan shall become due two years before the expiry of Mining Lease period.

B. Special Conditions:

1. The lessee to keep a separate record of sale of mineral, if any, from the lease and will report such sale in the monthly & annual

Authorised Signatory

Authorised Signatory

- returns to be submitted under the Mineral Conservation & Development Rules, 2017.
2. An Environmental monitoring cell should be constituted to carry out regular monitoring of environmental parameters (Air, Water & Noise level) and quarterly report of Environmental monitoring should be submitted to the Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, Jabalpur. Further, daily monitoring report should be displayed on display board near mine/mine office.
 3. The approval is given for the received proposals as applicable from this date for the mining activities to be carried out within the lease area. The earlier instances of irregular mining/ illegal mining, if any, shall not be regularized through the approval of this document.
 4. It shall be mandatory for the project proponent, abstracting ground water, to obtain NO Objection Certificate from Central Ground Water Authority or, the concerned State/Union Territory Ground Water Authority, as the case may be.
 5. That the yearly report in the prescribed format indicating the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the Review of Mining Plans with progressive Mine closure Plan required under Rule 26(2) of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 shall be submitted before 1st of July of every year to the Regional office, Indian Bureau of Mines, Jabalpur.
 6. If any technical comments received by state Govt to modify the approved Review mining plan the lessee will have to modify the ROMP as per the comments of state govt in future.

Yours faithfully,

Encl: Digital copy of Approved Review of Mining Plan

MCDR-MPC0LST/34/2025-JBP-IBM_RO_JBP/ROMP-32/2025-26

(SALIL SANDIP KUJUR)

Regional Controller of Mines

Copy forwarded for information to Shri Pushendra Mishra Qualified Person

(SALIL SANDIP KUJUR)

Regional Controller of Mines

Not on first two copies:

Copy forwarded for kind information to:

- 1) The Director, Department of Mines & Geology, Government of U.P.
- 2) The Controller of Mines (CZ), Indian Bureau of Mines, NAGPUR.
- 3) The Director of Mines Safety, VARANASI.

(SALIL SANDIP KUJUR)

Regional Controller of Mines



प्रेषक,

निदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

क्षेत्रीय खान नियंत्रक,

भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर,
मध्य प्रदेश।

संख्या /M-12C-414/2017(अल्ट्राटेक)

दिनांक 31 दिसम्बर, 2021

विषय:-मै० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड के प्रस्ताव के क्रम में जनपद सोनभद्र स्थित डाला (कजरहट) लाइमस्टोन माइंस के 751 हेक्टेयर खनन क्षेत्र के स्वीकृत Mining Plan में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मै० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड, डाला सीमेन्ट वर्क्स, जनपद सोनभद्र को संबोधित एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-यूपी/सोनभद्र/लाइमस्टोन/एमपीएलएन/एमओडी-02/2020-21 दिनांक 07.04.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो जनपद सोनभद्र स्थित डाला (कजरहट) लाइमस्टोन माइंस के 751.0 हेक्टेयर खनन क्षेत्र के स्वीकृत Mining Plan में संशोधन के सम्बन्ध में है।

2. उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-759/86-169/2016 दिनांक 29.12.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि मा० नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्युनल इलाहाबाद द्वारा कम्पनी याचिका संख्या-29/2016 में पारित आदेश दिनांक 02.03.2017 के अनुसार सीमेन्ट कॉरपोरेशन से मै० जय प्रकाश एसोसिएट लि० को प्राप्त समस्त परिसम्पत्तियाँ खनिज पट्टों सहित अल्ट्राटेक सीमेन्ट में संनिहित हो गयी हैं।

प्रश्नगत् शासनादेश दिनांक 29.12.2021 एवं मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओए संख्या-494/2015 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर पारित आदेश दिनांक 04.05.2016 के अनुसार वनसंरक्षण अधिनियम-1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही वनाच्छादित 380.635 हे० खनन क्षेत्र का नवीनीकरण किया जायेगा।

अतः उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत् वनाच्छादित खनन क्षेत्र 380.635 हे० पर खनन कार्य किये जाने के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत भारत सरकार की अनापत्ति प्रस्तुत करने पर मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० के पक्ष में नवीनीकरण/हस्तान्तरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

भवदीया

(डॉ० रोशन जैकब)

निदेशक

संख्या 852 / तददिनांक।

✓प्रतिलिपि :मै० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड, डाला सीमेन्ट वर्क्स, जनपद सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ० रोशन जैकब)
निदेशक

Ultra Tech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works


Authorised Signatory


संयुक्त निरीक्षण आख्या


प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा के पत्रांक-2088/ओबरा/15 भू0ह0, दिनांक-28.02.2024 तथा पत्रांक-3219/ओबरा/15भू0ह0, दिनांक-29.06.2024 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में ओबरा वन प्रभाग के डाला रेंज के अन्तर्गत ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी, कोटा व पडरछ में स्वीकृत डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माइन्स तथा भलुआ लाईम स्टोन माइन्स में प्रभावित होने वाली वन भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग के साथ वन विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण निम्नवत है:-


क्र0 सं0	स्वीकृत खनन पट्टा का नाम	ग्राम का नाम	कुल वन भूमि (घारा 4 से प्रभावित भूमि को सम्मिलित करते हुए) (हे0 मे0)	गैर वन भूमि (हे0 मे0)	योग (हे0 मे0)	अभियुक्ति
1	2	3	6	7		9
1	डाला (कजरहट) लाईम स्टोन माइन्स	कोटा	336.161	330.164	666.325	गाटेवार विवरण संलग्न है, सं0-1
2		पडरछ	68.227	16.448	84.675	
योग-			404.388	346.612	751.000	
3	भलुआ लाईम स्टोन माइन्स	कोटा	49.365	168.109	217.474	गाटेवार विवरण संलग्न है, सं0-2
4		बिल्ली मारकुण्डी	13.021	412.938	425.959	
योग-			62.386	581.047	643.433	
कुल योग-			466.774	927.659	1394.433	


उपरोक्त तालिका के भलुआ लाईम स्टोन के अन्तर्गत ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी में कुल 412.938 हे0 गैर वन भूमि में से गाटा संख्या 2489 रकवा 0.253 हे0, 2516 रकवा 0.435 हे0, 2779 रकवा 0.202 हे0, 7618 रकवा 0.810 हे0, 7620 रकवा 0.038 हे0, 7630 रकवा 0.230 हे0, 7983 रकवा 0.050 हे0 कुल 2.018 हे0 क्षेत्र के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या सी-50375/2003 उमा शंकर सिंह व अन्य बनाम अपर जिला जज अनपरा स्थित ओबरा व अन्य विचाराधीन है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-17.11.2003 को स्थगन आदेश पारित किया गया है। कालान्तर में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया जाता है तो उक्त क्षेत्र हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता होगी।



वन रक्षक/बीट प्रभारी
चोपन बीट, डाला रेंज।



वन रक्षक/बीट प्रभारी
डाला बीट, डाला रेंज।



वन रक्षक/बीट प्रभारी
हर्दा बीट, कोन रेंज।



वन दरोगा/सेक्शन प्रभारी,
चोपन, डाला रेंज।



वन दरोगा/सेक्शन प्रभारी,
कोटा, डाला रेंज।



वन दरोगा/सेक्शन प्रभारी,
हर्दा, कोन रेंज।



क्षेत्रीय लेखपाल/कानूनगो,
कोटा।



क्षेत्रीय लेखपाल/कानूनगो,
बिल्ली मारकुण्डी।



क्षेत्रीय लेखपाल/कानूनगो,
पडरछ।



प्रतिनिधि,
मे0 अल्टाटेक सीमेन्ट लि0, डाला,
सोनभद्र।


क्षेत्रीय वन अधिकारी,
डाला रेंज।


क्षेत्रीय वन अधिकारी,
कोन रेंज।


प्रभारी वन मन्दीवस्त शाखा,
ओबरा वन प्रभाग।


उप प्रभागीय वनाधिकारी,
चोपन, ओबरा वन प्रभाग।


तहसीलदार,
ओबरा।


उप जिलाधिकारी,
ओबरा।

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

ADITYA BIRLA



UltraTech

प्रस्ताव संख्या FP/UP/MIN/47074/2020 का स्पष्टीकरण

पूर्व प्रस्तावित (ऑनलाइन संख्या FP/UP/MIN/47074/2020) 344.688 हे० आरक्षित वन भूमि (294.082 हे० आरक्षित वन भूमि कजराहट (डाला) लाइमस्टोन खदान के अंतर्गत तथा 50.606 हे० आरक्षित वन भूमि भलुआ लाइमस्टोन खदान के अंतर्गत) के लिए दिनांक 06.07.2020 को प्रस्तुत किया गया था। MoEF&CC के दिनांक 14.11.2022 के EDS तथा नोडल अधिकारी द्वारा जारी बैठक कार्यवृत्त दिनांक 25.08.2023 के संदर्भ में, कजराहट (डाला) एवं भलुआ लाइमस्टोन खदानों में वन एवं गैर-वन क्षेत्र की स्थापना हेतु नोडल अधिकारी के निर्देशानुसार राजस्व विभाग, वन विभाग एवं यूजर एजेंसी के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया गया।

दिनांक 14.11.2022 को प्रस्ताव संख्या FP/UP/MIN/47074/2020 पर MoEF&CC द्वारा उठाए गए EDS बिंदु संख्या (7) के अनुसार— “माइनिंग लीज की KML फाइल को DSS पोर्टल पर उपलब्ध वन खंड सीमा पर सुपरइम्पोज करने पर यह अवलोकित हुआ कि कजराहट (डाला) एवं भलुआ माइनिंग लीज के अंतर्गत कई वन पैच प्रस्तावित डायवर्जन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। फलस्वरूप कम वन क्षेत्र के लिए डायवर्जन आवेदन किया गया है। अतः उक्त क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।” तथा उप वन महानिरीक्षक (DIG Forest) के पत्र दिनांक 27.11.2023 के बिंदु संख्या (2) के अनुसार— “राज्य सरकार खनन प्रस्ताव में सम्मिलित वन भूमि एवं गैर-वन भूमि का विवरण तथा उनके भू-उपयोग के साथ आवश्यक KML फाइलें प्रस्तुत करेगी।”

उपरोक्त के अनुपालन में एवं प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा के पत्र संख्या 2088/ओबरा/15 भू० ह०/ दिनांक 28.02.2024 के गठित टीम के अनुसार वन विभाग, राजस्व विभाग एवं उपयोगकर्ता एजेंसी के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया गया।

संयुक्त सर्वेक्षण से स्थापित किया गया है कि कजराहट (डाला) लाइमस्टोन खदान में कुल वन क्षेत्र 404.388 हे० है तथा Kaimoor Wildlife Sanctuary के इको-सेंसिटिव जोन का क्षेत्रफल 92.62 हे० है (जिसमें 55.323 हे० वन क्षेत्र एवं 37.296 हे० गैर-वन क्षेत्र सम्मिलित है)।

संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार कजराहट (डाला) एवं भलुआ लाइमस्टोन खदानों के लिए वन क्षेत्र में वृद्धि पाई गई। क्षतिपूर्क वनीकरण (CA) भूमि की उपलब्धता तथा भलुआ लाइमस्टोन खदान के संपूर्ण क्षेत्र (वन एवं गैर-वन) हेतु खनन योजना की अनुपलब्धता के आधार पर, संशोधित वन डायवर्जन प्रस्ताव से भलुआ लाइमस्टोन खदान



UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonbhadra (UP) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093. Tel.: +91 22 66917800

ADITYA BIRLA



UltraTech

के वन क्षेत्र को अभी के लिए हटा दिया गया है। संशोधित वन डायवर्जन प्रस्ताव में जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग अंतर्गत कजराहट (डाला) लाइमस्टोन खदान के कोटा एवं पड़रछ ग्राम सम्मिलित हैं।

प्रस्तावित वन भूमि डायवर्जन क्षेत्र 331.475 हे० है, जो कि कजराहट (डाला) लाइमस्टोन खदान के ग्राम कोटा एवं पड़रछ में स्थित है। इसमें से Kaimoor Wildlife Sanctuary के ईको-सेंसिटिव ज़ोन का 55.323 हे० वन क्षेत्र तथा 17.590 हे० क्षेत्र (कन्हर नदी) को अपवर्जित किया गया है।

प्रधान महा वनसंरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या 834/11-सी-FP/UP/MIN/47074/2020, लखनऊ, दिनांक 09.09.2025 द्वारा हमें अपने प्रस्ताव संख्या FP/UP/MIN/47074/2020 में संशोधन (Edit) करने तथा परिवेश पोर्टल 1.0 में संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत के लिए अनुमति प्राप्त हुई है। तदनुसार, कजराहट (डाला) लाइमस्टोन खदान के ग्राम कोटा एवं पड़रछ स्थित 331.475 हे० वन भूमि के Forest Diversion प्रस्ताव को दिनांक 08.12.2025 को परिवेश पोर्टल 1.0 पर प्रस्तुत किया गया है।

डाला (कजराहट) डाला लाइमस्टोन माइंस के अंतर्गत ग्राम कोटा एवं पड़रछ में प्रभावित होने वाली भूमि का विवरण निम्नवत है (क्षेत्रफल हेक्टेयर में):-

ग्राम	वन भूमि	गैर - वन भूमि	योग	इको सेंसिटिव ज़ोन में वन भूमि	इको सेंसिटिव ज़ोन में गैर-वन भूमि	इको सेंसिटिव ज़ोन का कुल योग	नदी का क्षेत्रफल	नदी और इको सेंसिटिव ज़ोन की वन भूमि को छोड़कर प्रस्ताव हेतु कुल वन भूमि का क्षेत्रफल (इको सेंसिटिव ज़ोन की गैर- वन भूमि को छोड़कर प्रस्ताव की गैर - वन भूमि का क्षेत्रफल
कोटा	336.161	330.164	666.325	52.344	29.776	82.120	8.440	275.377	300.388
पड़रछ	68.227	16.448	84.675	2.979	7.520	10.499	9.150	56.098	8.928
योग	404.388	346.612	751.000	55.323	37.296	92.619	17.590	331.475	309.316

UltraTech
CEMENT
The Engineer's Choice

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonbhadra (UP) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093. Tel.: +91 22 66917800

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या- 578 /एक-1-2020-24 (1)/2018
लखनऊ: दिनांक: 11 जून, 2020

अधिसूचना
(संशोधन)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) व (घ) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1773/एक-1-2019-24 (1)/2018 दिनांक-31.10.2019 द्वारा जनपद मीरजापुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रबंधन में निहित कुल 85 गाटा कुल रकबा 470.304 हे० भूमि का पुनर्ग्रहण करते हुए मै० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा जनपद सोनभद्र में अस्थायी रूप से प्रस्तावित प्रयोग के लिए वांछित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को कृतीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निर्वर्तन पर रखने की अनुमति प्रदान की गयी थी। सम्प्रति मै० जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा उक्त सीमेंट फैक्ट्री दिनांक 29.06.2017 को मै० अल्ट्राटेक सीमेंट लि० को विक्रय कर दी गयी है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल शासन द्वारा निर्गत उपरोक्त अधिसूचना संख्या-1773/एक-1-2019-24 (1)/2018 दिनांक 31.10.2019 में जहाँ-जहाँ मै० जे०पी० एसोसिएट्स लि० अंकित है, के स्थान पर मै० अल्ट्राटेक सीमेंट लि० का नाम अंकित किए जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं। तदनुसार अधिसूचना संख्या-1773/एक-1-2019-24 (1)/2018 दिनांक-31.10.2019 संशोधित समझी जाये। उक्त अधिसूचना दिनांक 31.10.2019 के शेष प्राविधान एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

(रणवीर कुमार)

अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैवः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, भू-तत्त्व खनिकर्म, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- मण्डलायुक्त विध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
- 6- जिलाधिकारी, मीरजापुर को उनके पत्र संख्या-349/जी०भू०व्यव०लि०/पुनर्ग्र०पत्रा०-49/2019 दिनांक-26/06/2019 के आलोक में।
- 7- मै० जे०पी० एसोसिएट्स लि० विष्णु सदन, 5 पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ-226001
- 8- प्रयन्ध निदेशक, अल्ट्राटेक सीमेंट लि० अहूरा सेन्टर, बी-विंग, 2 फ्लोर, महाकाली केम्स, अंधेरी (ईस्ट) मुंबई-400093
- 9- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर उमकी 15 मुद्रित प्रतियां राजस्व अनुभाग-1 उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराएं।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(घनश्याम चतुर्वेदी)

अनु सचिव

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- २४२३ /एक-1-2019-24(1)/2018

लखनऊ: दिनांक: २२ अक्टूबर, 2019

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) व (घ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 300/एक-1-2018-24(1)/2018 दिनांक-10/05/2018 तथा अधिसूचना संख्या-300/एक-1-2019-24(1)/2018 दिनांक-08/03/2019 को निरस्त करते हुए नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो इस अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंधन में निहित की गयी थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए अनुसूची के पश्चात् उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन में 0जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा जनपद सोनभद्र में अस्थायी रूप से प्रस्तावित प्रयोग के लिए वांछित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को वनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रण पर रखने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं :-

अनुसूची

जनपद- मीरजापुर

क्र0 सं0	नाम तहसील	ग्राम नाम	भूमि की श्रेणी	नाम स्वामिदार	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0गे)
1	2	3	4	5	6	7
1	सदर	शिन्धौरा	6-4	पहाड	1000	5.263
2					1007	39.911
			योग:-		2 गाटा	45.174
3	चुनार	नागमन्डीरा	6-4	पहाड	114 जि0	127.502
			योग:-		1 गाटा	127.502
4		रेकरा	5-3-अ	झाडी	699चमि	3.694
5			5-3-ब	वजर	95 जि0	0.379
6					96ब	0.550
7	गडिहान				1015जि0	2.126
8					108यामि0	4.238
9					148ग/4	0.430
10					206	1.400

Ultra Tech Cement
Unit Datta Cement Works

Authorised Signatory

11				223मि0	0.645
12				241क	0.460
13				2783मि0	0.400
14				289	0.300
15				304ए	2.800
16				395क	0.250
17		5-1	नई परली	108उ	11.690
18				110घमि	0.380
19				302ख	0.640
		योग:-		16 गाटा	30.382
20	गलवार	5-3-ख	जमल हाडी	54ख	0.051
21				54ममि0	1.187
22				56ममि0	0.708
23				59ख	3.490
24				59इ	3.971
25				61म	2.845
26				65म	12.633
27				69म	1.328
28				488ख	5.919
29				499म	2.276
30				506म	1.934
31				781म	1.252
		योग:-		12 गाटा	37.594
32	नौदर	6-4	पडड	116मि0	17.769
		योग:-		1 गाटा	17.769
33	पुरा कशीनाथ	6-4	पडड	235मि0	16.016
		योग:-		1 गाटा	16.046
34	5रु.म	6-4	पडड	64घ	3.718
35				65	1.372
36				79ग	25.378

Ultra-Torn
Unit: Daily Learning Units

Authorised Signatory

		योग:-		3 गाटा	30.468
37	अमीकपुर	6-4	रानीवारीपट्ट	3रु	9.131
		योग:-		1 गाटा	9.131
38	चडई	6-4	पशरील	623क	6.930
39				649च	4.000
40		6-4	पशरी	651	22.307
41				561ड	15.224
		योग:-		4 गाटा	48.461
42	पारसिया मडपेली	6-4	पशरीली	7क	2.000
43				4रु	8.000
44				686ग	22.600
45				995ख	2.000
46				998च	5.000
		योग:-		5 गाटा	39.600
47	गहोभर	6-4	पशरीली	14ग	0.025
48				15ख	0.506
49				16ग	3.506
50				17क	0.101
51				19ख	0.126
52				45ग	0.025
53				48ख	0.190
54				50क	0.038
55				71ख	0.190
56				72ग	0.139
57				76क	6.000
58				87ख	0.025
59				91ग	0.531
		योग:-		13 गाटा	11.402
60	गोंदी रामपुर	6-4	पशरीली	258ग	0.253
61				438ग	5.729

62				47432	6.717
63				4773	1.999
64				50051	1.417
65				50177	0.190
66				48231	0.936
67				47733	0.620
68				47333	0.278
69				44233	0.076
	योग:-			10 गाटा	18.215
70	बरहला	5-3-5	बंजर	126क	0.341
1				135क	6.007
72				141	1.480
73				143	0.304
74				144	2.162
75				145	0.278
76				147	1.417
77				148क	1.163
78				14833	1.871
79				1483	1.770
80				151कमि	0.544
81				153	4.339
82		5-1	जदे परती	153मि0	3.542
83				1073	0.645
84		6-4	मथरैल	85	7.735
85				102क	4.962
	योग:-			16 गाटा	38.560
	सम्पूर्ण योग:-			85 गाटा	470.304

(1) माओ राष्ट्रीय हरित व्यापारिकरण, नई दिल्ली के आदेश दि०-04/05/2016 के अनुपालन व प्रदेश में औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम सभा भूमियों का पुनर्ग्रहण उपरिहाय परिस्थितियों के दृष्टिगत किया जा रहा है। ग्राम सिन्धोरा तहसील-सदर, ग्राम जवाहराभीरा तहसील-चुजार, ग्राम रेकरा तहसील-मडिशन तथा ग्राम मतवार, जौंदर, पुरा काशीनाथ,

Ultra Tech Cement Limited
Unit: Datta Cement Works

Authorised Signatory

उरुआ, मानिकपुर, बडौहा, परसिया गुड़पेली, महोखर, पौडी रामपुर, बरहुला तहसील-लालगंज जनपद-मीरजापुर की कुल 85 गाटा कुल रकबा 470.304 हे० ग्राम सभा भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि उक्त भूमि में 0जे०पी० ऐसोसिएट्स लि० को अंतरण किये जाने के साथ-साथ एक ही संव्यवहार में भूमि वन विभाग को अंतरित कर दी जायेगी। उक्त अनुक्रम हेतु कलेक्टर द्वारा एक विपक्षीय अनुबंध निस्पादित कराया जायेगा।

(2)- कलेक्टर द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त भूमि का उपयोग केवल वनीकरण हेतु किया जायेगा। भूमि के अन्यथा उपयोग की दशा में पुनर्ग्रहण व अंतरण शून्य होगा।

(3)- उक्त भूमि वन विभाग 30प्र० शासन के निवर्तन पर रखते हुए वनीकरण हेतु दी जा रही है उक्त भूमि का मूल्य एवं उस पर दस वर्षों का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण व्यय में 0जे०पी० ऐसोसिएट्स लि० द्वारा जमा/वहन किया जायेगा। शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20 (5)/2016 दि०-03.06.2016 के अनुसार पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में 0जे०पी० ऐसोसिएट्स लि० द्वारा लेखाशीर्षक "0029 भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियों-08-मातृकाना राजस्व-0800-प्रकीर्ण प्राप्तियों" के नाम जमा कराया जायेगा।

(4)- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 तथा राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक-03.06.2016 के आलोक में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित कुल 85 गाटा कुल रकबा 470.304 हे० भूमि का पुनर्ग्रहण वनीकरण हेतु विभाग, उत्तर प्रदेश शासन हेतु किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी।

(5)- कलेक्टर द्वारा इस आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा संबंधित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा कराया जाय तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित की जाय। उक्त अधिसूचना को उस क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार-पत्रों, जिसमें से एक हिन्दी में होगा, में प्रकाशित किया जाय। उक्त की अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, 30प्र० शासन, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन व राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

(5)- कलेक्टर द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली-2016 शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-5(20)/2016 दिनांक- 03/06/2016 में

दिये गये दिशा-निर्देशों तथा उपरोक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- उक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(विष्णु कुमार)

अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, भू-तत्व खनिकर्म, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- मण्डलायुक्त विद्ययाचल मण्डल, मीरजापुर।
- 6- जिलाधिकारी, मीरजापुर को उनके पत्र संख्या-349/जी०भू०व्यव०लि०/पुनर्ग०पत्रा०-19/2019 दिनांक-26/06/2019 के आलोक में।
- 7- मै० जे०पी० एसोसिएट्स लि० विष्णु सदन, 5 पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ-226001
- 8- प्रबन्ध निदेशक, अल्ट्राटेक सीमेंट लि० अहूरा सेन्टर, बी-विंग, 2 ग्लोर, महाकाबी केम्प, अंधेरी (ईस्ट) मुंबई-400093
- 9- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर उसकी 15 मुद्रित प्रतियां राजस्व अनुभाग-1 उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराएं।
- 10- गाडे फाइल।

30.10.19

आज्ञा से,

(आर० वी० सिंह)

संयुक्त सचिव

Ujjain Cement Limited

Government of Uttar Pradesh



IN-UP76516876521133X

e-Stamp

Account No. H.M.DWIVEDI ACC Code-UP14495904

Address: Teh. Parisar, Karwi Mob.-904492078
License No.-98 Tehsil & District-Chitrakoot (U.P.)

8013
25

Certificate No. : IN-UP76516876521133X

Certificate Issued Date : 05-Aug-2025 07:56 PM

Account Reference : NEWIMPACC (SV)/up14495904/ KARWI SADAR/ UP-CTK

Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1449590450603462148030X

Purchased by : ULTRATECH CEMENT LIMITED BY SANJEEV KUMAR RAJPUT

Description of Document : Article 23 Conveyance

Property Description : MAUJA CHUREHKESHARUA GATA NO 1889 MI-ADI TEHSEEL MANIKPUR DIST CHITRAKOOT AS PER DEED


Consideration Price (Rs.) : 11,61,700

First Party : GREEN PVT.LTD BY MANOJ.SONI S O J P SONI

Second Party : ULTRATECH CEMENT LIMITED BY SANJEEV KUMAR RAJPUT

Stamp Duty Paid By : ULTRATECH CEMENT LIMITED BY SANJEEV KUMAR RAJPUT

Stamp Duty Amount(Rs.) : 11,61,700 (Eleven Lakh Sixty One Thousand Seven Hundred only)



Please write or type below this line

Handwritten mark

Handwritten signature



PF 0000689228

Statutory Alert:

1. The authenticity of the Stamp Certificate can be verified at www.echetsamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalka Cement Works

Authorized Signatory



-: लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण :-

निष्पादन की तिथि - 05.08.2025

निष्पादन का स्थान - कर्वी, चित्रकूट

उपनिबन्ध कार्यालय का नाम - कर्वी सदर

लेखपत्र का प्रकार - विक्रयपत्र (कृषि भूमि)

विक्रयमूल्य/प्रतिफल - 23139739.00 रु०

मूल्यांकन दर सूची से आगणित मूल्य - 23234000.00 (बिक्रीत भूमि का गा०नं० 1689 मि० रोड में होने पर इस कृषि भूमि का रेट 14053000.00 रु० होता है व शेष गा०नं० रोड से दूर होने पर इस कृषि भूमि का रेट 9181000.00 रु० होता है इस प्रकार भूमि की कुल मालियत 23234000.00 रु० होती है।)

स्टाम्प शुल्क की धनराशि - 1161700.00 रु०

ई स्टाम्पिंग संख्या - IN-UP76515876521133X

(अगर स्टाम्प छूट लिया गया हो तो छूट की धनराशि एवं सम्बन्धित शासनादेश का विवरण) शून्य

1. भूमि की अवस्थिति - (नगरीय/अर्धनगरीय/विकासशील/ग्रामीण)-सामान्य ग्रामीण क्षेत्र

2. सम्पत्ति का प्रकार - कृषि

3. स्थित मोहल्ला/ग्राम - चुरेह केशरूवा, कोड संख्या - 155871

4. परगना - मानिकपुर

5. तहसील - मानिकपुर

6. जनपद - चित्रकूट

7. सम्पत्ति का विवरण - रामपाल के द्वारा बिक्रीत रकबा का विवरण - बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9579 के पृष्ठ 21 से 38 तक क्रमांक 7887 पर दिनांक 01.08.2025 को उप निबन्धक कार्यालय कर्वी सदर में रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत हुई थी।

खाता	गा०सं०	रकबा	लगान	बिक्रीत रकबा	यूनिक नम्बर
------	--------	------	------	--------------	-------------

५१



५२



UltraTech Cement Limited
Unit: Datta Cement Works

Authorised Signatory

	1689 मि०	20.516 हे०	168.40	1.141 हे०	1558711689200112
	1690	0.569 हे०	3.00	0.0316 हे०	1558711690000012
	1691	2.188 हे०	10.00	0.1207 हे०	1558711691000012
	1692	0.858 हे०	4.00	0.143 हे०	1558711692000012
	1693	2.021 हे०	10.00	0.1128 हे०	1558711693000012
	1694	0.858 हे०	3.00	0.049 हे०	1558711694000012
	1695	0.315 हे०	3.00	0.0175 हे०	1558711695000012
	1696	0.840 हे०	4.00	0.140 हे०	1558711696000012
	1697	2.345 हे०	11.00	0.130 हे०	1558711697000012

इस प्रकार प्रथमपक्ष ने अपने उपरोक्त गाटा नम्बरान कुल 9 किता कुल रकबा 30.510 हे० मे से अपने हिस्से का सम्पूर्ण भाग रकबा 1.8864 हे० भूमि बेचा।

गौरव कुमार शुक्ला के द्वारा बिक्रीत रकबा का विवरण - बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9578 के पृष्ठ 355 से 372 तक क्रमांक 7883 पर दिनांक 01.08.2025 को उप निबन्धक कार्यालय कर्वी सदर मे रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत हुई थी।

खाता	गा०सं०	रकबा	लगान	बिक्रीत रकबा	यूनिक नम्बर
	1689 मि०	20.516 हे०	168.40	1.139 हे०	1558711689200112
	1690	0.569 हे०	3.00	0.0316 हे०	1558711690000012
	1691	2.188 हे०	10.00	0.122 हे०	1558711691000012
	1693	2.021 हे०	10.00	0.112 हे०	1558711693000012
	1694	0.858 हे०	3.00	0.047 हे०	1558711694000012
	1695	0.315 हे०	3.00	0.0175 हे०	1558711695000012
	1697	2.345 हे०	11.00	0.130 हे०	1558711697000012

इस प्रकार प्रथमपक्ष ने अपने उपरोक्त गाटा नम्बरान कुल 7 किता कुल रकबा 28.812 हे० मे से अपने हिस्से का सम्पूर्ण भाग रकबा 1.5991 हे० भूमि बेचा।

प्रथम शुक्ला के द्वारा बिक्रीत रकबा का विवरण - बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9579 के पृष्ठ 39 से 56 तक क्रमांक 7888 पर दिनांक 01.08.2025 को उप निबन्धक कार्यालय कर्वी सदर मे रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत हुई थी।

खाता	गा०सं०	रकबा	लगान	बिक्रीत रकबा	यूनिक नम्बर
	1689 मि०	20.516 हे०	168.40	1.139 हे०	1558711689200112
	1690	0.569 हे०	3.00	0.0316 हे०	1558711690000012
	1691	2.188 हे०	10.00	0.122 हे०	1558711691000012
	1693	2.021 हे०	10.00	0.112 हे०	1558711693000012
	1694	0.858 हे०	3.00	0.047 हे०	1558711694000012
	1695	0.315 हे०	3.00	0.0175 हे०	1558711695000012
	1697	2.345 हे०	11.00	0.130 हे०	1558711697000012

म/



Sony



Ultra Tech Cement Limited
Unit: Dullu Cement Works

Authorised Signatory

इस प्रकार प्रथमपक्ष ने अपने उपरोक्त गाटा नम्बरान कुल 7 किता कुल रकबा 28.812 हे0 मे से अपने हिस्से का सम्पूर्ण भाग रकबा 1.5991 हे0 भूमि बँचा।

चंदा देवी व नरेन्द्र शुक्ला के द्वारा बिक्रीत रकबा का विवरण - बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9582 के पृष्ठ 311 से 328 तक क्रमांक 7997 पर दिनांक 05.08.2025 को उप निबन्धक कार्यालय कर्वी सदर मे रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत हुई थी।

खाता	गा0सं0	रकबा	लगान	बिक्रीत रकबा	यूनिक नम्बर
	1689 मि0	20.516 हे0	168.40	3.419 हे0	1558711689200112
	1690	0.569 हे0		0.0948 हे0	1558711690000012
	1691	2.188 हे0		0.3646 हे0	1558711691000012
	1692	0.585 हे0		0.1430 हे0	155871169200012
	1693	2.021 हे0		0.3368 हे0	1558711693000012
	1694	0.858 हे0		0.143 हे0	1558711694000012
	1695	0.315 हे0		0.0525 हे0	1558711695000012
	1696	0.840 हे0		0.140 हे0	1558711696000012
	1697	2.345 हे0		0.3908 हे0	1558711697000012

इस प्रकार प्रथमपक्ष ने अपने उपरोक्त गाटा नम्बरान कुल 9 किता कुल रकबा 30.510. हे0 मे से अपने हिस्से का सम्पूर्ण भाग रकबा 5.0845 हे0 भूमि बँचा।

चंदा देवी व नरेन्द्र शुक्ला व पुष्पेन्द्र कुमार शुक्ला के द्वारा बिक्रीत रकबा का विवरण - बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9582 के पृष्ठ 329 से 346 तक क्रमांक 7998 पर दिनांक 05.08.2025 को उप निबन्धक कार्यालय कर्वी सदर मे रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत हुई थी।

खाता	गा0सं0	रकबा	लगान	बिक्रीत रकबा	यूनिक नम्बर
	1698	8.313 हे0	16.00	2.771 हे0	1558711698000012


इस प्रकार प्रथमपक्षगण ने अपने उपरोक्त गाटा नम्बर कुल 1 किता कुल रकबा 8.313 हे0 मे से अपने हिस्से का सम्पूर्ण भाग रकबा 2.771 हे0 भूमि बँचा।


केतकी देवी के द्वारा बिक्रीत रकबा का विवरण - बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9578 के पृष्ठ 391 से 408 तक क्रमांक 7885 पर दिनांक 01.08.2025 को उप निबन्धक कार्यालय कर्वी सदर मे रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत हुई थी।

खाता	गा0सं0	रकबा	लगान	बिक्रीत रकबा	यूनिक नम्बर
	1689 मि0	20.516 हे0	168.40	0.969 हे0	1558711689200112

इस प्रकार प्रथमपक्षगण ने अपने उपरोक्त गाटा नम्बर कुल 1 किता कुल रकबा 20.516 हे0 मे से अपने हिस्से का सम्पूर्ण भाग रकबा 0.969 हे0 भूमि बँचा।

अखिलेश कुमार सिंह के द्वारा बिक्रीत रकबा का विवरण - बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9578 के पृष्ठ 373 से 390 तक क्रमांक 7884 पर दिनांक 01.08.2025 को उप निबन्धक कार्यालय कर्वी सदर मे रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत हुई थी।





UltraTech Cement Limited
Unit: Dalia Cement Works

Authorised Signatory

खाता	गा0सं0	रकबा	लगान	बिक्रीत रकबा	यूनिक नम्बर
	1694	0.858 हे0	3.00	0.2145 हे0	1558711694000012
	1696	0.840 हे0	3.00	0.210 हे0	1558711696000012
	1697	2.345 हे0	10.00	0.5862 हे0	1558711697000012

इस प्रकार प्रथमपक्ष ने अपने उपरोक्त गाटा नम्बरान कुल 3 किता कुल रकबा 4.043 हे0 मे से अपने हिस्से का सम्पूर्ण भाग रकबा 1.0107 हे0 भूमि बेंचा।



अशोक कुमार सिंह के द्वारा बिक्रीत रकबा का विवरण - बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9578 के पृष्ठ 0.1 से 2.0 तक क्रमांक 7886 पर दिनांक 01.08.2025 को उप निबन्धक कार्यालय कर्ची सदर मे रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत हुई थी।



खाता	गा0सं0	रकबा	लगान	बिक्रीत रकबा	यूनिक नम्बर
	1694	0.858 हे0	3.00	0.2145 हे0	1558711694000012
	1696	0.840 हे0	3.00	0.210 हे0	1558711696000012
	1697	2.345 हे0	10.00	0.5862 हे0	1558711697000012
	1698	8.313 हे0	60.00	2.0782 हे0	1558711698000012

इस प्रकार प्रथमपक्ष ने अपने उपरोक्त गाटा नम्बरान कुल 4 किता कुल रकबा 12.356 हे0 मे से अपने हिस्से का सम्पूर्ण भाग रकबा 3.089 हे0 भूमि बेंचा।

इस प्रकार प्रथमपक्ष ने उपरोक्त गाटा नम्बरान से अपने हिस्से से अपना सम्पूर्ण भाग रकबा 18.008 हे0 भूमि बेंचा।

8. बिक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी - पूरब मे सहखातेदार की भूमि, पश्चिम मे सहखातेदार की भूमि, उत्तर मे टिकुरी सम्पर्क मार्ग, दक्षिण मे सहखातेदार की भूमि
9. बिक्रीत भूमि की 200 मीटर त्रिज्या मे आवासीय गतिविधियों की स्थिति- नही है
10. बिक्रीत भूमि के आबादी से संलग्न होने की स्थिति - आबादी नही है
11. मापन की ईकाई - हेक्टेयर
12. बिक्रीत भूमि का क्षेत्रफल - 18.008 हे0
13. रोड सेगमेंट/मार्ग की स्थिति/मार्ग का नाम- इस भूमि का गाटा नं0 1689 मि0 टिकुरा सम्पर्क मार्ग मे स्थित है एवं शेष सभी गाटा नं0 सामान्य ग्रामीण क्षेत्र मे है।
14. एक अधिक मार्ग की स्थिति - शून्य
15. पेड़ों का मूल्यांकन - शून्य
16. बोरिंग/ट्यूबवेल/कुँआ/अन्य - नही है
17. बोरिंग/ट्यूबवेल पर निर्माण - नही है
18. बोरिंग/ट्यूबवेल पर निर्माण की स्थिति मे क्षेत्रफल - शून्य
19. बोरिंग/ट्यूबवेल पर निर्माण की स्थिति मे उनका मूल्य दर सूची से (निर्माण की श्रेणी के अनुसार) मूल्यांकन - शून्य
20. बिक्रेता अनुसूचित जाति/जनजाति का है या नही - नही है
21. बिक्रीत भूमि पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त विकास शुल्य प्रभार्य है अथवा नही है - नही

Ultra Tech Cement Limited
Unit: Durgam Cheruvu, Warangal

Authorised Signatory

22. कलेक्टर द्वारा जारी गूल्यांकन दर सूची प्रभावी दिनांक - 06.06.2025 के पृष्ठ संख्या 47, प्रारूप 4, कालम 10 द्वारा गाटा नम्बर 1689 गि0 रोड मे होने कारण निर्धारित दर 1800000.00 रु0 प्रति हेक्टेयर है एवं गूल्यांकन दर सूची प्रभावी दिनांक 06.06.2025 के पृष्ठ संख्या 47, प्रारूप 4, कालम 16 द्वारा शेष 8 गाटा नम्बर सामान्य कृषि भूमि मे होने कारण निर्धारित दर 900000.00 रु0 प्रति हेक्टेयर है।

23. प्रथमपक्ष की संख्या - 1

24. द्वितीयपक्ष की संख्या - 1

25. प्रथमपक्ष का विवरण - जी आर ई एनवायरोनिक्स प्रा0 लि0, निवासी प्लाट नं0 153 वेस्ट हाईकोर्ट शंकर नगर नागपुर 440010, द्वारा अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिनिधि मनोज सोनी पुत्र जे0पी0 सोनी, निवासी 249 सारथी ईमारत विकास नगर कृषि उपज मण्डी के पीछे अग्रसेन वार्ड लमटी जबलपुर, ग0प्र0 आधारनं0- XXXXXXXX1627, पैननं0- BAQPSS750J, मो0नं0- 9300090969 (विक्रेता)

26. द्वितीयपक्ष का विवरण - अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड, बी बिग अहुरा सेन्टर सेकेण्ड फ्लोर महाकाली केव्स रोड अंधेरी ईस्ट मुम्बई, 400093, यूनिट डाला सीमेन्ट वर्क्स (कोटा) सोनभद्र उत्तर प्रदेश 231207, द्वारा अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिनिधि संजीव कुमार राजपूत पुत्र दीवान सिंह, निवासी नौरंगा बाद धामपुर नुसनपुर जिला विजनौर, उ0प्र0 आधारनं0- XXXXXXXX4880, मो0नं0- 8108043109, कम्पनी पैन नं0- AAACL6442L (क्रेता)


(यह भूमि विक्रेता ने रामलाल से दिनांक 01.08.2025 को क्रय किया था जिसका विवरण वही संख्या 1 जिल्द सं0 9579 के पृष्ठ 21. से 38 तक क्रमांक 7887 पर दिनांक 01.08.2025 को उपनिबन्धक कार्यालय कर्वा सदर मे रजिस्ट्रीकृत हुई है)

27. विक्रेता के पक्ष मे उक्त अचल सम्पत्ति के स्वामित्व/मालिकाना हक निम्न स्रोत से प्राप्त हुआ है - विरासत/उत्तराधिकार/बैनामा/दान इत्यादि (विवरण) - विरासत

28. अन्य - कोई नहीं

29 यह कि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रथमपक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व मे है, जिस पर कोई ऋण, कर या अन्य कोई प्रभार बकाया नहीं है और किसी अदालती कार्यवाही मे विवादास्पद नहीं है। प्रथमपक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि किसी अन्य को विक्रय/दान/बंधक या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है। विक्रीत भूमि पर कब्जा द्वितीयपक्ष को दे दिया गया है। इस विक्रयपत्र के निष्पादन की तिथि से द्वितीयपक्ष किसी को भी हस्तांतरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिये स्वतंत्र है। द्वितीयपक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथमपक्ष के स्वामित्व मालिकाना हक के सम्बन्ध मे सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह सम्पत्ति के स्वामित्व आदि से संतुष्ट है। प्रतिफल स्वरुप द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष को धनराशि रूपया 23234000.00 रु0 जरिये आर0टी0जी0एस0 जिसका यू0टी0आर0-नं0 - 508045113323 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष को भुगतान कर दिया है जिसे प्रथमपक्ष ने स्वीकार कर लिया है।





UltraTech Cement Limited
Unit: Ballari Cement Works
Authorized Signatory



आवेदन सं०: 202500875010102

विक्रय पत्र

ही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 8013

वर्ष: 2025

तिरुक्त- 23139739 स्टाभ्य शुल्क- 1161700 बाजारी मूल्य - 23234000 पंजीकरण शुल्क - 232340 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 80 योग : 232420

श्री अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड द्वारा
संजीव कुमार राजपूत अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
डूंग श्री दीवान सिंह
पदनाम : अन्य
नेवासी: नौरंगाबाद धानपुर, नुसनपुर जिला विजयनौर, उ०प्र०



श्री अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड द्वारा

संजीव कुमार राजपूत अधिकृत पदाधिकारी/
प्रतिनिधि

1 यह लेखपत्र इत्त कार्यालय में दिनांक 06/08/2025 एवं 11:34:20
AM वजे
नेबंधन हेतु भेज किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश सिंह .
उप निबंधक :सदर
वित्रकूट
06/08/2025

वती उज्जमा .
निबंधक लिपिक
06/08/2025



<https://figsup.gov.in/figsup/showEndorsReport.html>



Authorised Signatory


30. प्रथमपक्ष अर्थात् विक्रेता ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने पश्चात विलेख का निष्पादन किया है। अतएव इस विक्रयपक्ष में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनो पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के साथ पूर्ण होशो हवाश में निम्नलिखित दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

क - उपरोक्त ग्राम से सम्बन्धित गाटा संख्या विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है।

ख. - अन्तरित की जा रही सम्पत्ति से सम्बन्धित गाटा संख्या किसी भी महायोजना में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टी, क्रीड़ा स्थल तथा किसी भी महायोजना मार्ग में उपयोग में नहीं ली गयी है।

ग- क्रेता इस विलेख के जरिये घोषणा करता है कि व भू उपयोग के विरुद्ध निर्माण किये जाने की दशा में ध्वस्तीकरण सहित समस्त विधिक कार्यवाही हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

इस विलेख में विक्रेता की पहचान में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता व गवाहान की होगी, इस विलेख में कोई तथ्य छिपाया जाता है व कशापवंचन होता है तो पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी। क्रेता विक्रेता के बताये गये अनुसार विलेख लिखा गया है जो क्रेता को मंजूर है। फोटो प्रमाणित राजनारायण सिंह, एडवोकेट कर्वी ने किया है।



31. गवाहों का विवरण -

गवाह - 1. रक्षित रोहित जोशी पुत्र रोहित जोशी
स्थायी पता - शंकर नगर नागपुर महाराष्ट्र
आधार संख्या - XXXXXXXX9531, मो0नं0 - 9823090333

Rohit

गवाह - 2. निशान्त ए रावल पुत्र आनन्द एन. रावल
स्थायी पता - बिरसा मंदिर के पास जमजेशपुर झारखण्ड
आधार संख्या - XXXXXXXX9325, मो0नं0 - 9608255256


Nishant Raaval

लेखपत्र तैयार कर्ता का नाम एवं मोहर - राजनारायण सिंह, एडवोकेट
दिनांक - 05.08.2025 ई0



Rajnarayan Singh
Rajnarayan Singh
Advocate
Kans-Ostrakasi
Reg.No. UP1613182

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalia Cement Works
Authorised Signatory



आवेदन सं०: 202500875010102

बही सं० : रजिस्ट्रेशन सं०: 8013 वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रत्येकानुसार उक्त चिक्रेता: 1

श्री जी आर ई एनकारोनिक्स प्रा० लि० के द्वारा मनोज सोनी,

IGRE ENVIRONICS PRIVATE LIMITED

पुत्र श्री जे०पी० सोनी

निवासी: 249 सारथी ईमारत विकास नगर कृषि उपज मण्डी के पीछे अग्रसेन वार्ड समटी जबलपुर, म०प्र०

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 294P

क्रेता: 1



श्री अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड के द्वारा संजीव कुमार राजपूत,

ULTRATECH CEMENT LIMITED

पुत्र श्री दीवान सिंह

निवासी: नौरंगाबाद धामपुर, नुसनपुर खिल विजयनगर, उ०प्र०

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 442L

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1



श्री रक्षित रोहित जोशी, पुत्र श्री रोहित जोशी

निवासी: शंकर नगर नागपुर महाराष्ट्र

व्यवसाय: अ-य

पहचानकर्ता: 2



श्री निशान्त ए रावल, पुत्र श्री आनन्द एन रावल

निवासी: बिरसा मन्दिर के पास जमशेदपुर झारखण्ड

व्यवसाय: अन्य



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान्त अंगुठे नियमानुसार लिए गए है। टिप्पणी:



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सन्दीप सिंह,
उप निबंधक : सदर
चित्रकूट
06/08/2025

धली उज्जमा,
निबंधक लिपिक चित्रकूट
06/08/2025

<https://igrsup.gov.in/igrsup/showEndorsRopon.html>



"शत्यमेव जयते"

11

जिला बार एसोसिएशन कर्वी-चित्रकूट शपथ - पत्र

16

न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार साहब, कर्वी
मुकदमा दाखिल खारिज

696

मीजा... शुद्धेश्वर तहसील मानिकपुर

अल्ट्राटेक सी. लि. द्वारा **बनाम GREEN प्रा. लि. द्वारा**
सजीव कुमार राजपूत मनीज होनी

हलफनामा... सजीव कुमार राजपूत पुत्र/पुत्री... दीवान सिंह

निवासी... नौरंगा बापधामपुर नुसनपुर तहसील... जिला-चित्रकूट
बिजनौर

(अ) मैं कसम खाता हूँ कि जमीनदारी निवास अधिनियम धारा 154 के स्पष्टीकरण में निर्धारित परिवार परिभाषा के अनुसार मेरे परिवार में वुन्देलखण्ड व समस्त उत्तर प्रदेश वराजी मुवइया व पुरानी अराजी को मिला कर कुल..... एकड़ भूमि है और वक्त दोनो को मिलाकर..... एकड़ भूमि होगी।

(ब) इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश अधिनियम जीत सीमा निर्धारित अधिनियम की धारा 4 के अर्न्तगत वुन्देलखण्ड मे..... 18.75..... एकड़ तथा उसके बाहर..... का हकदार हूँ।

(स) इस प्रकार धारा (अ) व 1 (ब) को कुल मेरे परिवार भूमि है जो 1872 से।



2. यह कि कसम खाता हूँ कि अराजी मुवइया पर मैंने कब्जा पर लिया है और हस्ता से मैं मौके
पी काबिज व दाखिल हूँ।

श्रीमान् प...
06/8/25

3. यह कि खाता हूँ कि आराजी जो मुवइया हरिजन की नहीं है।

4. यह कि कसम खाता हूँ कि मजनून हलफनामा हाजानुराद वफा 1 समावर 4 बतय अ व सहित मेरे सही व दुरुस्त है परमात्मा मदद करें।

[Signature]

दिनांक... 06-8-25


मदखाले
सजीव कुमार राजपूत
पुत्र
दीवान सिंह
दिनांक 06/8/25 तहसील

[Signature]
जिला-चित्रकूट
बिजनौर

जिला-चित्रकूट
बिजनौर
[Signature]

नजरी नकशा

सौजा-चुरहेकशकवा तहसील-मनिच्युपु जिला-चिन्मुर
गाटा संख्या 1689मि, 1690, 1691, 1692, विस्तारकवा 18.008
1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698



उत्तर
टिकुरी सम्पर्क मार्ग

पश्चिम
सहरवातेपाटा
का जिला

1689मि	1690
1691	1692
1693	1693
1695	1696
1697	1698

पूर्व
सहरवातेपाटा का जिला

सहरवातेपाटा का जिला
दक्षिण

म

स



आवेदन सं०: 202500875010102

हई संख्या । जिल्द संख्या 95९3 के पृष्ठ 61 से 82 तक क्रमांक 8013 पर दिनांक 06/08/2025
ले रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


अनंद सिंह
उप निबंधक : सदर
चित्रकूट
06/08/2025



स्वाल फोटो

8

सौजा-चुरहेकेशरुवा तहसील-मानिखुपु (जिला-चिरकु)



M



Samp



UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorized Signatory

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उप निर्बंधक सदर चित्रकूट क्रम 2025102009777

आवेदन संख्या : 202500875010102

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2025-08-06 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम संजीव कुमार राजपूत

लेख का प्रकार विक्रय पत्र

प्रतिफल की धनराशि 23139739 / 23234000.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 232340

2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 80

3. निरीक्षण या तलाश शुल्क

4. मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5. कमीशन शुल्क

6. विविध

7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 232420

शुल्क बसूल करने का दिनांक 2025-08-06 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2025-08-06 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

<https://igrsup.gov.in/igrsup/getPaymentRecieptDirectSlipGeneration>

Ultra Tech Cement Limited
Unit: Datta Cement Works

Authorised Signatory



INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh



IN-UP77181735619214X

e-Stamp

Signature

CC Name-M.N. UWVEDIACC Code-UP14495904
CC Address-Teh. Parisar, Karwi Dist. 20429267
License No.-93 Tehsil & District-Chitrakoot (U.P.)
26.03.2026

831
25

Certificate No. : IN-UP77181735619214X
 Certificate Issued Date : 06-Aug-2026 12:47 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14495904/ KARWI SADAR/ UP-CTK
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1449590450744601110284X
 Purchased by : ULTRATECH CEMENT LIMITED BY SANJEEV KUMAR RAJPUT
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : MAUJA CHUREHKESHARUA GATA NO 1689 MI-AADI TEHSEEL
 MANIKPUR DIST CHITRAKOOT AS PER DEED
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : GREEN PVT LTD BY MANOJ SONI S O J P SONI
 Second Party : ULTRATECH CEMENT LIMITED BY SANJEEV KUMAR RAJPUT
 Stamp Duty Paid By : ULTRATECH CEMENT LIMITED BY SANJEEV KUMAR RAJPUT
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 6,03,200
 (Six Lakh Three Thousand Two Hundred only)



Please write or type below this line

17

Sany



PF 0000689236

Statutory Alert

- The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.ubidstamp.com/ or using e-Stamp Mobile App of State Muziris.
- Any discrepancy in the contents of this Certificate shall be available to the e-Stamp / Mobile App vendors if shared.
- The fees of obtaining the Stamp Certificate is on the terms of the certificate.
- In case of any discrepancy please refer to the Competent Authority.

Authorized Signatory



-: लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण :-

निष्पादन की तिथि - 06.08.2025

निष्पादन का स्थान - कर्वी, चित्रकूट

उपनिबन्ध कार्यालय का नाम - कर्वी सदर

लेखपत्र का प्रकार - विक्रयपत्र (कृषि भूमि)

विक्रयमूल्य/प्रतिफल - 9681300.00 रू0

मूल्यांकन दर सूची से आगणित मूल्य - 12064000.00 (बिक्रीत भूमि का गा0नं0 1689 मि0 रोड में होने पर इस कृषि भूमि का रेट 10565000.00 रू0 होता है व शेष गा0नं0 रोड से दूर होने पर इस कृषि भूमि का रेट 1499000.00 रू0 होता है इस प्रकार भूमि की कुल मालियत 12064000.00 रू0 होती है।)

स्टाम्प शुल्क की धनराशि - 603200.00 रू0

ई स्टाम्पिंग संख्या - IN-UP77181735619214X

(अगर स्टाम्प छूट लिया गया हो तो छूट की धनराशि एवं सम्बन्धित शासनादेश का विवरण) शून्य

1. भूमि की अवस्थिति - (नगरीय/अर्धनगरीय/विकासशील/ग्रामीण)-सामान्य ग्रामीण क्षेत्र

2. सम्पत्ति का प्रकार - कृषि

3. स्थित मोहल्ला/ग्राम - चुरेह केशरूवा, कोड संख्या - 155871

4. परगना - मानिकपुर

5. तहसील - मानिकपुर

6. जनपद - चित्रकूट

7. सम्पत्ति का विवरण - पुष्पेन्द्र कुमार शुक्ला के द्वारा बिक्रीत रकबा का विवरण -

वही संख्या 1 जिल्द संख्या 9583 के पृष्ठ 99 से 116 तक क्रमांक 8015 पर दिनांक 06.08.2025 को उप निबन्धक कार्यालय कर्वी सदर में रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत हुई थी।

खाता	गा0सं0	रकबा	लगान	बिक्रीत रकबा	यूनिक नम्बर
	1689 मि0	20.516 हे0	168.40	3.419 हे0	1558711689200112
	1690	0.569 हे0	3.00	0.0948 हे0	1558711690000012

11



Samy



Cement Limited
Cement Works

Authorized Signatory

1691	2.188 हे०	10.00	0.3646 हे०	1558711691000012
1692	0.858 हे०	4.00	0.1430 हे०	155871169200012
1693	2.021 हे०	10.00	0.3368 हे०	1558711693000012
1694	0.858 हे०	3.00	0.143 हे०	1558711694000012
1695	0.315 हे०	3.00	0.0525 हे०	1558711695000012
1696	0.840 हे०	4.00	0.140 हे०	1558711696000012
1697	2.345 हे०	11.00	0.3908 हे०	1558711697000012

इस प्रकार प्रथमपक्ष ने अपने उपरोक्त गाटा नम्बरान कुल 9 किता कुल रकबा 30.510. हे० मे से अपने हिस्से का सम्पूर्ण भाग रकबा 5.0845 हे० भूमि बँचा।

विजय नारायण के द्वारा बिक्रीत रकबा का विवरण - बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9583 के पृष्ठ 171 से 188 तक क्रमांक 8019 पर दिनांक 06.08.2025 को उप निबन्धक कार्यालय कर्वी सदर मे रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत हुई थी।

खाता	गा०सं०	रकबा	लगान	बिक्रीत रकबा	यूनिक नम्बर
	1689 मि०	20.516 हे०	168.40	1.400 हे०	1558711689200112

इस प्रकार प्रथमपक्ष ने अपने उपरोक्त गाटा नम्बरा कुल 1 किता कुल रकबा 20.516 हे० मे से अपने हिस्से का सम्पूर्ण भाग रकबा 1.400 हे० भूमि बँचा।

सत्य नारायण कुशवाहा के द्वारा बिक्रीत रकबा का विवरण - बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9583 के पृष्ठ 153 से 170 तक क्रमांक 8018 पर दिनांक 06.08.2025 को उप निबन्धक कार्यालय कर्वी सदर मे रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत हुई थी।

खाता	गा०सं०	रकबा	लगान	बिक्रीत रकबा	यूनिक नम्बर
	1689 मि०	20.516 हे०	168.40	1.050 हे०	1558711689200112

इस प्रकार प्रथमपक्ष ने अपने उपरोक्त गाटा नम्बरा कुल 1 किता कुल रकबा 20.516 हे० मे से अपने हिस्से का सम्पूर्ण भाग रकबा 1.050 हे० भूमि बँचा।

इस प्रकार प्रथमपक्ष ने उपरोक्त गाटा नम्बरान से अपने हिस्से से अपना सम्पूर्ण भाग रकबा 7.5345 हे० भूमि बँचा।


8. विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी - पूरब मे सहखातेदार की भूमि, पश्चिम मे सहखातेदार की भूमि, उत्तर मे टिकुरी सम्पर्क मार्ग, दक्षिण मे सहखातेदार की भूमि
9. विक्रीत भूमि की 200 मीटर त्रिज्या मे आवासीय गतिविधियों की स्थिति- नही है
10. विक्रीत भूमि के आबादी से संलग्न होने की स्थिति - आबादी नही है
11. मापन की ईकाई - हेक्टेयर
12. विक्रीत भूमि का क्षेत्रफल - 7.5345 हे०
13. रोड सेगमेंट/मार्ग की स्थिति/मार्ग का नाम- इस भूमि का गाटा नं० 1689 मि० टिकुरा सम्पर्क मार्ग मे स्थित है एवं शेष सभी गाटा नं० सामान्य ग्रामीण क्षेत्र मे है।
14. एक अधिक मार्ग की स्थिति - शून्य



UltraTech Cement Limited
Unit: Dalia Cement Works
Authorized Signatory

15. पेड़ों का मूल्यांकन - शून्य
16. बोरिंग/ट्यूबवेल/कुँआ/अन्य - नहीं है
17. बोरिंग/ट्यूबवेल पर निर्माण - नहीं है
18. बोरिंग/ट्यूबवेल पर निर्माण की स्थिति में क्षेत्रफल - शून्य
19. बोरिंग/ट्यूबवेल पर निर्माण की स्थिति में उनका मूल्य दर सूची से (निर्माण की श्रेणी के अनुसार) मूल्यांकन - शून्य
20. विक्रेता अनुसूचित जाति/जनजाति का है या नहीं - नहीं है
21. विक्रीत भूमि पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त विकास शुल्क प्रभार्य है अथवा नहीं है - नहीं
22. कलेक्टर द्वारा जारी मूल्यांकन दर सूची प्रभावी दिनांक - 06.06.2025 के पृष्ठ संख्या 47, प्रारूप 4, कालम 10 द्वारा गाटा नम्बर 1689 मि0 रोड में होने कारण निर्धारित दर 1800000.00 रु0 प्रति हेक्टेयर है एवं मूल्यांकन दर सूची प्रभावी दिनांक 06.06.2025 के पृष्ठ संख्या 47, प्रारूप 4, कालम 16 द्वारा शेष 8 गाटा नम्बर सामान्य कृषि भूमि में होने कारण निर्धारित दर 900000.00 रु0 प्रति हेक्टेयर है।
23. प्रथमपक्ष की संख्या - 1
24. द्वितीयपक्ष की संख्या - 1
25. प्रथमपक्ष का विवरण - जी आर ई एनवायरोनिक्स प्रा0 लि0, निवासी प्लॉट नं0 153 वेस्ट हाईकोर्ट शंकर नगर नागपुर 440010, द्वारा अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिनिधि मनोज सोनी पुत्र जे0पी0 सोनी, निवासी 249 सारथी ईमारत विकास नगर कृषि उपज मण्डी के पीछे अग्रसेन वार्ड लमटी जबलपुर, म0प्र0 आधारनं0- XXXXXXXX1627, पैननं0- BAQPS8750J, मो0नं0- 9300090969 (विक्रेता)
26. द्वितीयपक्ष का विवरण - अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड, बी बिग अहुरा सेन्टर सेकेंड फ्लोर महाकाली केव्स रोड अंधेरी ईस्ट मुम्बई, 400093, यूनिट डाला सीमेन्ट वर्क्स (कोटा) सोनभद्र उत्तर प्रदेश 231207, द्वारा अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिनिधि संजीव कुमार राजपूत पुत्र दीवान सिंह, निवासी नौरंगा बाद घामपुर नुसनपुर जिला बिजनौर, उ0प्र0 आधारनं0- XXXXXXXX4880, मो0नं0- 8108043109, कम्पनी पैन नं0- AAACL6442L (क्रेता)
27. विक्रेता के पक्ष में उक्त अचल सम्पत्ति के स्वामित्व/मालिकाना हक निम्न स्रोत से प्राप्त हुआ है - विरासत/उत्तराधिकार/बैनामा/दान इत्यादि (विवरण) - विरासत
28. अन्य - कोई नहीं
- 29 यह कि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रथमपक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है, जिस पर कोई ऋण, कर या अन्य कोई प्रभार बकाया नहीं है और किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद नहीं है। प्रथमपक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि किसी अन्य को विक्रय/दान/बंधक या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है। विक्रीत भूमि पर कब्जा द्वितीयपक्ष को दे दिया गया है। इस विक्रयपत्र के निष्पादन की तिथि से द्वितीयपक्ष किसी को भी हस्तांतरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिये स्वतंत्र है। द्वितीयपक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथमपक्ष के स्वामित्व मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह सम्पत्ति के स्वामित्व





आवेदन सं०: 202500875010129

विक्रय पत्र


ही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 8031

वर्ष: 2025

तिफ्त- 9681300 स्याम्य शुल्क- 603200 बाजारी मूल्य - 12064000 पंजीकरण शुल्क - 120640 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 120700

श्री अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा
 संजीव कुमार राजपूत अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
 तब श्री दीवान सिंह
 व्यवसाय: अन्य
 नेवासी: नौरंगाबाद धामपुर नूसनपुर जिला बिजनौर, उ०प्र०



श्री अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा

संजीव कुमार राजपूत अधिकृत पदाधिकारी/
प्रतिनिधि

। यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 06/08/2025 एवं 03:38:00
 *M बजे
 नेबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश सिंह
 उप निबंधक :सदर
 चित्रकूट
 06/08/2025

वली उज्जमा
 निबंधक लिपिक
 06/08/2025



आदि से संतुष्ट है। प्रतिकूल स्वरूप द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष को धनराशि रु. 9881300.00 रु. जरिये आरटी0जी0एस0 जिसका यूटी0आर0 नं0 - 508045113323 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष को भुगतान कर दिया है जिसे प्रथमपक्ष ने स्वीकार कर लिया है।

30. प्रथमपक्ष अर्थात् विक्रेता ने सम्पूर्ण प्रतिकूल प्राप्त करने पर्याप्त विलेख का निष्पादन किया है। अतएव इस विक्रयपक्ष में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साथ स्वरूप में निम्नलिखित दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।
क - उपरोक्त ग्राम से सम्बन्धित गाटा संख्या विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है।

ख - अन्तर्गत की जा रही सम्पत्ति से सम्बन्धित गाटा संख्या किसी भी नहायोजना में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टी, क्रीड़ा स्थल तथा किसी भी नहायोजना मार्ग में उपयोग में नहीं ली गयी है।

ग- क्रेता इस विलेख के जरिये घोषणा करता है कि व नू उपयोग के विरुद्ध निर्माण किये जाने की दशा में ध्वस्तीकरण सहित समस्त विधिक कार्यवाही हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

इस विलेख ने विक्रेता की पहचान में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता व गवाहान की होगी, इस विलेख में कोई तथ्य छिपाया जाता है व करापदचन होता है तो पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी। क्रेता विक्रेता के बताये गये अनुसार विलेख लिखा गया है जो क्रेता का नजूर है। फोटो प्रमाणित राजनारायण सिंह, एडवोकेट कर्वा ने किया है।

4




31. गवाहों का विवरण -

गवाह - 1. रक्षित रोहित जोशी पुत्र रोहित जोशी

स्थाई पता - शंकर नगर नागपुर महाराष्ट्र

आधार संख्या - XXXXXXXX9531, मो0नं0 - 9823090333

गवाह - 2. निशान्त ए रावल पुत्र आनन्द एन रावल


स्थाई पता - विरसा मंदिर के पास जमशेदपुर झारखण्ड

आधार संख्या - XXXXXXXX9325, मो0नं0 - 9608255258

लेखपत्र तैयार कर्ता का नाम एवं मोहर - राजनारायण सिंह, एडवोकेट


दिनांक - 08.08.2025 ई0










Rajnarayan Singh
Advocate
Kanw-Chitrakoot
Reg.No. UP16103/22

UltraTech Cement Limited
Unit: Dulla Cement Works

Authorised Signatory



आवेदन सं०: 202500875010129


वर्ग सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6031

वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजबुत व प्राप्ता धनराशि रु प्रतेखानुसार उक्त विक्रेता: 1


श्री जी आर ई एनवायरोनिक्स प्रा० लि० के द्वारा मनोज सोनी, IGR E ENVIRONICS PRIVATE LIMITED
 पुत्र श्री जे०पी० सोनी
 निवासी: 249 सारथी ईमारत विकास नगर कृषि उपज मण्डी के पीछे अग्रसेन वार्ड लमटी जबलपुर, म०प्र०
 व्यवसाय: अन्य
 पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 294P
 क्रेता: 1




श्री अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के द्वारा संजीव कुमार राजपूत, ULTRATECH CEMENT LIMITED
 पुत्र श्री दीवान सिंह
 निवासी: नौरेगाबाद धामपुर नूसनपुर जिला बिजनौर, उ०प्र०
 व्यवसाय: अन्य
 पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 442L
 ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1



श्री रश्मि रोहित जोशी, पुत्र श्री रोहित जोशी
 निवासी: खंकर नगर नागपुर महाराष्ट्र
 व्यवसाय: अन्य
 पहचानकर्ता: 2



श्री निखन ए रावल, पुत्र श्री आनन्द एन रावल
 निवासी: बिरसा मन्दिर के पास जमशेदपुर झारखण्ड
 व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेश सिंह
 उप निबंधक : सदर
 चित्रकूट
 06/08/2025
 बली उज्जमा
 निबंधक तिपिक चित्रकूट
 06/08/2025

ने की। प्रत्यक्ष/भद्र साक्षियों के निष्पान नियमानुसार लिए गए हैं।
रिपामी:



उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2008 की धारा 34 के अन्तर्गत भूमि के अन्तरण की रिपोर्ट सेवा में

तहसीलदार

तहसील... मानिचुपुट

जिला... मिर्जापुर

(1) आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता:

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड बी. विंग
सुहरा सेक्टर सिविल जेलर महाकाली
कैवस रोड अंबेसे इलाहाबाद 2210093
सोनाभद्र (उ.प्र.) 23/2017
मारा सी. ए. चक्र / प्रीमियम सेक्टर सुभाष राजपुत्र पुत्र
उषो दीवान सिंह निवासी - नौरंगा धारापुट गुसनपुट जिला मिर्जापुर
(उ.प्र.)

(2) हस्तांतरण के द्वारा अर्जित भूमि का विवरण (क्षेत्रफल और भू-राजस्व सहित) 7.5345 हे

(3) अन्तरणकर्ता का नाम पिता का नाम व पता:

जो. डाल्टन इनवैस्टमेंट्स प्रा. लि. प्लॉट
नं० 15 उबेय एडि कोर्ट बंगला नगर नागपुर 440010
मारा प्रमोनि कठोरी
सोनाज सोनी पुत्र जो. पी. सोनी निवासी 249 चारफो इमारत
विन्हास नगर छपि उपज मण्डी के पी. ई. एम. सेन नई लमवी
जबलपुर (म.प्र.)

(4) अतिरिक्तियों का नाम पिता का नाम और पता (यदि कोई हो).....

(5) हस्तांतरण की प्रकृति (बिक्री, दान, इत्यादि)..... बिनामा

(6) अन्तरण विलेख के निबंधन एवं उनके निष्पादन की तिथि..... 06/08/2025

(7) प्रतिफल की धनराशि..... बिनामा 9681300/- का. मालिका 12064000/2

कोई अन्य विवरण.....

दिनांक... 06/08/2025

[Signature]

आवेदक के हस्ताक्षर



UltraTech Cement Limited
Unit: Ballari Cement Works

Authorised Signatory

"सत्यमेव जयते"

जिला बार एसोसिएशन कर्वी-चित्रकूट शपथ - पत्र

न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार साहब, कर्वी
मुकदमा दाखिल खारिज

516

मौजा...धुरेकेशवा तहसील मानिकपुर.....

अवकाश सी. लि. द्वारा बनाम GREEN प्रा. लि. द्वारा मनीष सौनी
संजीव कुमार राजपूत

हलफनामा...संजीव कुमार राजपूत.....पुत्र/पुत्री...दीवान सिंह.....

निवासी...नौरंगा बाद धामपुर सुसमपुर जिल बिजौर उ.प्र......तहसील...दीवान सिंह.....जिला-चित्रकूट

(अ) मैं कसम खाता हूँ कि जमीनदारी निवास अधिनियम धारा 154 के स्पष्टीकरण में निर्धारित परिवार परिभाषा के अनुसार मेरे परिवार में बुन्देलखण्ड व समस्त उत्तर प्रदेश वराजी मुवइया व पुरानी अराजी को मिला कर कुल.....एकड़ भूमि है और वक्त दोनों को मिलाकर.....एकड़ भूमि होगी।

(ब) इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश अधिनियम जीत सीमा निर्धारित अधिनियम की धारा 4 के अर्न्तगत बुन्देलखण्ड मे.....1872.....एकड़ तथा उसके बाहर.....का हकदार हूँ।

(स) इस प्रकार धारा (अ) व 1 (ब) को कुल मेरे परिवार भूमि है जो 1872 से।

2. यह कि कसम खाता हूँ कि अराजी मुवइया पर मैने कब्जा पर लिया है और हस्तान्तरण के दिनांक से मैं मीके पा काबिज व दाखिल हूँ।

3. यह कि खाता हूँ कि आराजी जो मुवइया हरिजन की नहीं है।

यह कि कसम खाता हूँ कि मजनून हलफनामा हाजानुराद वफा 1 समावर 4 बतय अ ब सहित मेरे सही व दुरुस्त है परमात्मा मदद करें।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


06-8-25
01-02

निवासी...संजीव कुमार राजपूत.....तहसील...दीवान सिंह.....जिला-चित्रकूट

स्थान...नौरंगा बाद धामपुर सुसमपुर जिल बिजौर उ.प्र......तहसील...दीवान सिंह.....जिला-चित्रकूट

पुत्र/पुत्री...दीवान सिंह.....
जिला-चित्रकूट
तहसील...दीवान सिंह.....
दिनांक...06/8/25.....
राज नौराधाम सिंह (उ.प्र.)
नगर आयक

[Handwritten signature]
जिला-चित्रकूट




जजरी नकशा

23

सोला-चुरहेकवावा तहसील-मानिकपुट (निर्गुण)

गाटा संख्या 1689 मि, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697 विक्रीत रक्कम 7.5345 हे



उत्तर
सुदरवात दारा व्हा शेत

1689 मि	1690	1691
1692	1693	1694
1695	1696	1697

पश्चिम
सुदरवात दारा व्हा
शेत

पूरुब
सुदरवात दारा व्हा
शेत

सुदरवात दारा व्हा शेत
दक्षिण

H

Samp



Authorized Signatory



आवेदन सं०: 202500875010129

ही संख्या 1 जिल्द संख्या 9583 के पृष्ठ 389 से 406 तक क्रमांक 8031 पर दिनांक 06/08/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रजेश सिंह

उप निबंधक : सदर

चित्रकूट

06/08/2025



रजत कपूर

6

मौज - चुरे कसरुवा तहसील बगलिया (फिरोजपुर)



H



Samp



Ultra Tech Cement Limited
Unit - D, Coimbatore

Authorized Signatory

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उप निबंधक सदर चित्रकूट क्रम 2025102009799

अवेदन संख्या : 202500875010129

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2025-08-06 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम संजीव कुमार राजपूत

लेख का प्रकार विक्रय पत्र

प्रतिफल की धनराशि 9681300 / 12064000.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 120640

2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 60

3. निरीक्षण या तलाश शुल्क

4. मुद्दतार के अधिग्रहणीकरण लिए शुल्क

5. कमीशन शुल्क

6. विविध

7. वार्षिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 120700

शुल्क वसूल करने का दिनांक 2025-08-06 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2025-08-06 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

UltraTech Cement Limited
Unit: Datta Cement Works

Authorised Signatory

INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

IN-UP13393113342653X



ACC Name: H. M. DATTA / ACC Code: SP 14490904

ACC Address: TEN, Part 1, Plot No. 50443/26703


License No: 98 Tehsil & District, Chitrakoot

4,41,650

10329
25

Certificate No.
 Certificate Issued Date
 Account Reference
 Unique Doc. Reference
 Purchased by
 Description of Document
 Property Description
 Consideration Price (Rs.)
 First Party
 Second Party
 Stamp Duty Paid By
 Stamp Duty Amount (Rs.)

IN-UP13393113342653X
 29-Oct-2025 01:16 PM
 NEWIMPACC (SV)/ up14495904/ KARWI SADAR/ UP-CTK
 SUBIN-UPUP1449590423556910545333X
 ULTRATECH CEMENT LIMITED BY PRASHAM KUMAR JAIN
 Article 23 Conveyance
 MAUJA CHUREKHESHARUA GATA NO 1889 MI AADI TEHSEEL
 MANIKPUR DIST CHITRAKOOT AS PER DEED
 GREEN PVT LTD BY MANDJ SONI S O J P SONI
 ULTRATECH CEMENT LIMITED BY PRASHAM KUMAR JAIN
 ULTRATECH CEMENT LIMITED BY PRASHAM KUMAR JAIN
 4,41,650
 (Four Lakh Forty One Thousand Six Hundred And Fifty only)



4,41,650

IN-UP13393113342653X

Please write or type below this line

M

Prashamjain

0016343072

Statutory Alert:


1. The authenticity of the Stamp certificate should be verified at www.shcststamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

UltraTech Cement Limited
Unit: S. C. Cement Works

Authorised Signatory

ULTRATECH CEMENT LIMITED BY PRASHAM KUMAR JAIN ULTRATECH CEMENT LIMITED BY PRASHAM KUMAR JAIN ULTRATECH CEMENT LIMITED BY PRASHAM KUMAR JAIN

ULTRATECH CEMENT LIMITED BY PRASHAM KUMAR JAIN ULTRATECH CEMENT LIMITED BY PRASHAM KUMAR JAIN ULTRATECH CEMENT LIMITED BY PRASHAM KUMAR JAIN



—: लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण :-

निष्पादन की तिथि — 29.10.2025

निष्पादन का स्थान — कर्वी, चित्रकूट

उपनिबन्धक कार्यालय का नाम — कर्वी सदर

लेखपत्र का प्रकार — विक्रयपत्र (कृषि भूमि)

विक्रयमूल्य/प्रतिफल — 8400000.00 रू०

मूल्यांकन दर सूची से आगणित मूल्य — 8833000.00 रू० (बिक्रीत भूमि का गाटा नम्बर 1689 मि० रोड मे होने स्थित होने के कारण इस कृषि भूमि का मूल्य 6155000.00 रू० होता है व शेष गाटा नम्बर रोड से दूर होने पर इस कृषि भूमि का मूल्य 2678000.00 रू० होता है इस प्रकार भूमि की कुल मालियत 8833000.00 रू० होती है।)

स्टाम्प शुल्क की धनराशि — 441650.00 रू०

ई स्टाम्पिंग संख्या — IN-UP 13393113342653X

(अगर स्टाम्प छूट लिया गया हो तो छूट की धनराशि एवं सम्बन्धित शासनादेश का विवरण) शून्य

1. भूमि की अवस्थिति — सामान्य ग्रामीण क्षेत्र
2. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि
3. स्थित मोहल्ला/ग्राम — चुरेह केशरूवा, कोड संख्या — 155871
4. परगना — मानिकपुर
5. तहसील — मानिकपुर
6. जनपद — चित्रकूट
7. सम्पत्ति का विवरण —

M

Pashamjain

UltraTech Cement Limited
 Unit: Ballia, Bihar, India
 Authorised Signatory

गाटा	गाटासं०	रकबा	लगान	विक्रीत रकबा	यूनिक नम्बर
	1689 मि०	20.516 हे०	168.40	3.419 हे०	1558711689200112
	1690	0.569 हे०		0.2845 हे०	1558711690000012
	1691	2.188 हे०		1.094 हे०	1558711691000012
	1692	0.858 हे०		0.429 हे०	1558711692000012
	1693	2.021 हे०		1.0105 हे०	1558711693000012
	1695	0.315 हे०		0.1575 हे०	1558711695000012

इस प्रकार प्रथमपक्ष ने अपने उपरोक्त गाटा नम्बरान कुल 6 किता कुल रकबा 26.467 हे० मे से अपने हिस्से का सम्पूर्ण भाग रकबा 6.3945 हे० भूमि बेचा।

8. विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी - पूरब मे सहखातेदार की भूमि, पश्चिम मे सहखातेदार की भूमि, उत्तर मे टिकुरी सम्पर्क मार्ग, दक्षिण मे सहखातेदार की भूमि
9. विक्रीत भूमि की 200 मीटर त्रिज्या मे आवासीय गतिविधियों की स्थिति- नही है
10. विक्रीत भूमि के आबादी से संलग्न होने की स्थिति - आबादी नही है
11. मापन की ईकाई - हेक्टेयर
12. विक्रीत भूमि का क्षेत्रफल - 6.3945 हे०
13. रोड सेगमेंट/मार्ग की स्थिति/मार्ग का नाम- इस भूमि का गाटा नम्बर 1689 मि० टिकुरा सम्पर्कमार्ग मे स्थित है एवं शेष गाटा नम्बर सामा० ग्रामीण क्षेत्र मे है।
14. एक अधिक मार्ग की स्थिति - शून्य
15. पेड़ों का मूल्यांकन - शून्य
16. बोरिंग/ट्यूबवेल/कुँआ/अन्य - नही है
17. बोरिंग/ट्यूबवेल पर निर्माण - नही है
18. बोरिंग/ट्यूबवेल पर निर्माण की स्थिति मे क्षेत्रफल - शून्य
19. बोरिंग/ट्यूबवेल पर निर्माण की स्थिति मे उनका मूल्य दर सूची से (निर्माण की श्रेणी के अनुसार) मूल्यांकन - शून्य
20. विक्रेता अनुसूचित जाति/जनजाति का है या नही - नही है
21. विक्रीत भूमि पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त विकास शुल्य प्रभार्य नही है
22. कलेक्टर द्वारा जारी मूल्यांकन दर सूची प्रभावी दिनांक- 06.06.2025 के पृष्ठ संख्या 47, प्रारूप 4, कालम 10 द्वारा गाटा नम्बर 1633 मि० रोड मे होने कारण निर्धारित दर 1800000.00 रु० प्रति हेक्टेयर है एवं मूल्यांकन दर सूची प्रभावी दिनांक 06.06.2025 के पृष्ठ संख्या 47, प्रारूप 4, कालम 16 द्वारा शेष 5 गाटा नम्बर सामा० कृषि भूमि मे होने कारण निर्धारित दर 900000.00 रु० प्रति हेक्टेयर है।

M



Rashayam



UltraTech Cement Limited
Unit: Durgam Cheruvu, Hyderabad

Authorised Signatory

3. प्रथमपक्ष की संख्या - 1
24. द्वितीयपक्ष की संख्या - 1
25. प्रथमपक्ष का विवरण- जी आर ई एनवायरोनिक्स प्रा0 लि0, निवासी प्लाट नं0 153 वेस्ट हाईकोर्ट शंकर नगर नागपुर 440010, द्वारा अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिनिधि - मनोज सोनी पुत्र जे0पी0 सोनी, निवासी 249 सारथी ईमारत विकास नगर कृषि उपज मण्डी के पीछे अग्रसेन वार्ड लमटी जबलपुर, म0प्र0 आधारनं0- XXXXXXXX1627, कम्पनी पैननं0- AAKCG1294P, मो0नं0- 9300090969 (विक्रेता)
26. द्वितीयपक्ष का विवरण- अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड, बी विंग अदुरा सेक्टर 2 फ्लोर महाकाली केक्स रोड अंधेरी मुम्बई, 400093, द्वारा अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिनिधि - प्रशम कुमार जैन पुत्र डा0 पी0के0 जैन, निवासी म0नं0 बी3, सेक्टर ए, डाला सिमेंट वर्क्स डाला, पत्रही सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, आधारनं0- XXXXXXXX2891, कम्पनी पैननं0- AAACL6442L, मो0नं0- 8722804650, (क्रेता)
27. विक्रेता के पक्ष में उक्त अचल सम्पत्ति के स्वामित्व/मालिकाना हक निम्न स्रोत से प्राप्त हुआ है- विरासत/उत्तराधिकार/बैनामा/दान इत्यादि - बैनामा
28. अन्य - यह भूमि विक्रेता ने सन्तोष कुमार सिंह से दिनांक 19.08.2025 को क्रय किया था, जिसका विवरण वही संख्या 1 जिल्द सं0 9597 के पृष्ठ 263 से 280 तक क्रमांक 8352 पर दिनांक 19.08.2025 को उपनिबन्धक कार्यालय कर्वा सदन में रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत हुई है।
- 29 यह कि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रथमपक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है, जिस पर कोई ऋण, कर या अन्य कोई प्रभार बकाया नहीं है और किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद नहीं है। प्रथमपक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि किसी अन्य को विक्रय/दान/बंधक या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है। विक्रीत भूमि पर कब्जा द्वितीयपक्ष को दे दिया गया है। इस विक्रयपत्र के निष्पादन की तिथि से द्वितीयपक्ष किसी को भी हस्तांतरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिये स्वतंत्र है। द्वितीयपक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथमपक्ष के स्वामित्व मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह सम्पत्ति के स्वामित्व आदि से संतुष्ट है। प्रतिफल स्वरूप द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष को धनराशि रूपया 8400000.00 रू0 जरिये आर0टी0जी0एस0 जिसका

M


Prashant


UltraTech Cement Limited
 Unit: Durgam Cheruvu, Hyderabad

Authorized Signatory

आवेदन सं०: 202500875012966

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 10329

वर्ष: 2025

प्रतिफल- 8400000 स्टाम्प शुल्क- 441650 बाजारी मूल्य- 8833000 पंजीकरण शुल्क- 88330 प्रतिलिपिकरण शुल्क- 60 योग: 88390

श्री अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा
प्रशम कुमार जैन अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री डा० पी०के० जैन
व्यवसाय: अन्य
निवासी: म०न० बी 3 सेक्टर ए, डाला सिमेंट वर्क्स डाला, पत्रही सोनभद्र उ०प्र०

Prashamjain



श्री. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा

प्रशम कुमार जैन अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 29/10/2025 एवं
03:09:10 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हिमांशु . प्रभारी
उप निबंधक :सदर
चित्रकूट
29/10/2025
हिमांशु .
निबंधक लिपिक
29/10/2025



<https://igrsup.gov.in/igrsup/showEndorsReport.htm>

UltraTech Cement Limited
Unit: Durgam Chauri, Warangal

Authorized Signatory

पुणेटी0आर0 नं0 - 508045113323 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष को भुगतान कर दिया है जिसे प्रथमपक्ष ने स्वीकार कर लिया है।

30. प्रथमपक्ष अर्थात् विक्रेता ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने पश्चात् विलेख का निष्पादन किया है। अतएव इस विक्रयपक्ष में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के साथ पूर्ण होशो हवाश में निम्नलिखित दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

क - उपरोक्त ग्राम से सम्बन्धित गाटा संख्या विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है।

ख. - अन्तर्गत की जा रही सम्पत्ति से सम्बन्धित गाटा संख्या किसी भी महायोजना में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टी, क्रीड़ा स्थल तथा किसी भी महायोजना मार्ग में उपयोग में नहीं ली गयी है।

ग- क्रेता इस विलेख के जरिये घोषणा करता है कि वह भू उपयोग के विरुद्ध निर्माण किये जाने की दशा में ध्वस्तीकरण सहित समस्त विधिक कार्यवाही हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

इस विलेख में विक्रेता की पहचान में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता व गवाहान की होगी, इस विलेख में कोई तथ्य छिपाया जाता है व करापवंचन होता है तो पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी। क्रेता विक्रेता के बताये गये अनुसार विलेख लिखा गया है जो क्रेता को मंजूर है। फोटो प्रमाणित राजनारायण सिंह, एडवोकेट कर्वी ने किया है।

12

Prashantjain

31. गवाहों का विवरण -

गवाह- 1. चुनकाई प्रसाद पुत्र नवल किशोर

स्थायी पता- चकला गुरुबाबा कल्ला तह0 कर्वी जिला चित्रकूट

आधार संख्या- XXXXXXXX8180, मो0नं0- 9651178796

गवाह- 2. अतुल कुमार पुत्र रामबहोरी

स्थायी पता- कसहाई तह0 कर्वी जिला चित्रकूट

आधार संख्या- XXXXXXXX6496, मो0नं0- 9889918353

लेखपत्र तैयार कर्ता का नाम एवं मोहर- राजनारायण सिंह, एडवोकेट

दिनांक - 29.10.2025 ई0

2/10/25
Rajnarayan Singh
Advocate
Kerwa-Chitrakoot
Reg.No. UP16108/27



UltraTech Cement Limited
Units

Authorized Signatory

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 10329

वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजसुम व प्राप्त धनराशि रु प्रतोरखानुसार उक्त
विक्रेता: 1

श्री जी आर ई एनवायरोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मनोज सोनी, |GRE ENVIRONICS PRIVATE LIMITED


पुत्र श्री धे०पी० सोनी

निवासी: 249 सारथी ईमारत विकास नगर कृषि उपज मण्डी के पीछे अग्रसेन वार्ड समटी जबलपुर, म०प्र०

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 294P

क्रेता: 1



श्री अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड के द्वारा प्रथम कुमार जैन, |ULTRATECH CEMENT LIMITED


पुत्र श्री डा० पी०के० जैन

निवासी: म०न० बी 3 सेक्टर ए, डाला सिमेंट वर्क्स डाला, पत्रही सोनभद्र उ०प्र०

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 442L

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1



Prashamjain

श्री सुनकाई प्रसाद, पुत्र श्री नवल किशोर

निवासी: चकला गुरूबाबा कल्ला तह० कर्वी जिला चित्रकूट

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

सुनकाई प्रसाद



श्री अतुल कुमार, पुत्र श्री रामबहोरी


निवासी: कसहाई तह० कर्वी जिला चित्रकूट

व्यवसाय: अन्य

Atul Kumar



ने की । प्रत्यक्ष भद्र सिद्धि के निशान अंगुठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी:



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[Signature]
हिमांशु, प्रभारी
उप निबंधक : सदर
चित्रकूट
29/10/2025

हिमांशु ..
निबंधक लिपिक चित्रकूट
29/10/2025

आर0सी0 प्रपत्र -11

(देखें नियम 33 (1))

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के अन्तर्गत भूमि के अन्तरण की रिपोर्ट

सेवा में

तहसीलदार.

तहसील.....मानिफपुर

जिला.....मिर्जापुर

(1) आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता: अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की. विभा अहमदाबाद
सेक्टर नंबर 1 महाबली रोड रोड अहमदाबाद

इस मुकदमे पर 40000/3 प्रति जाला सीमेंट वर्क कोटा सोनमधु म.प्र. 23/12/07
द्वारा अधिपत्र/प्रतिनिधि प्रशाम कुमार जैन पुत्र श्री डा. पी. के. जैन
निवासी माकान नं. B-3 सेक्टर 4 जाला सीमेंट वर्क जाला पहाड़ी सोनमधु

(2) हस्तांतरण के द्वारा अर्जित भूमि का विवरण (क्षेत्रफल और भू-राजस्व सहित) 6.3945

(3) अन्तरणकर्ता का नाम पिता का नाम व पता: मनोज सोनी पुत्र श्री
जे. पी. सोनी निवासी-249 सारणी इमारत विकास-
नगर कृषि उपज मंडी के पीछे, अगुसन वाड
लसठी जबलपुर (म.प्र.)

(4) अतरितीयों का नाम पिता का नाम और पता (यदि कोई हो).....

(5) हस्तांतरण की प्रकृति (बिक्री, दान, इत्यादि)..... बेनामा

(6) अन्तरण विलेख के निबंधन एवं उनके निष्पादन की तिथि..... / 10 / 2025

(7) प्रतिफल की धनराशि बेनामा मालिफा काम

कोई अन्य विवरण..... X
दिनांक..... / 10 / 2025

Prashant

आवेदक के हस्ताक्षर

UltraTech Cement Limited
Unit: 2, B. 1, W. 2

Authorised Signatory

“सत्य मेव जयते”

जिला बार एसोसिएशन कर्वी-चित्रकूट

शपथ-पत्र

न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार साहब, कर्वी 258
मुकदमा दाखिल खारिज

बीजा चुरेहकेशखा तहसील चित्रकूट

अलफनामा प्रशम कुमार जैन बनाम श्री. प्रार. ई. रमनाशैमिनत प्रा. लि. हाया जेजी शानी

हलफनामा प्रशम कुमार जैन पुत्र श्री. पी. के. जैन
निवासी मकान नं. बी-3 सेक्टर ए आला सिटी बस्ते आला पत्रही सीनकूट तहसील आला जिला चित्रकूट

(अ) मैं कसम खाता हूँ कि जमीनदारी निवास अधिनियम धारा 154 के स्पष्टीकरण में निर्धारित परिवार परिभाषा के अनुसार मेरे परिवार में बुन्देलखण्ड व समस्त उत्तर प्रदेश वराजी मुवइया व पुरानी अराजी को मिला कर कुल एकड़ भूमि है और वक्त दोनों को मिलाकर एकड़ भूमि होगी।

(ब) इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश अधिनियम जीत सीमा निर्धारित अधिनियम की धारा 4 के अर्न्तगत बुन्देलखण्ड में 18.75 एकड़ तथः उसके बाहर का हकदार हूँ।

(स) इस प्रकार धारा (अ) व (ब) को कुल मेरे परिवार भूमि है जो एकड़

2. मैं हूँ कि अराजी मुवइया पर मेने कब्जा पा लिया पा काविज व दाखिल है।

3. के आराजी जो मुवइया हरिजन की नहीं है।

4. मैं कसम खाता हूँ कि मजतून हलफनामा हाजानुराद दफ्तर 1 समावर 4 बतय अ व सहित मेरे सही व दुरुस्त हैं परमात्मा मदद करें।



Prasham Jain

निवासी 29-10-25
समय 11
स्वाक्षर प्रशम कुमार जैन
पुत्र श्री श्री. पी. के. जैन
मकान नं. बी-3 सेक्टर ए आला सिटी
तहसील आला जिला चित्रकूट
रामनारायण सिंह (एस)

मदलाते प्रशम कुमार जैन
पुत्र श्री. पी. के. जैन
दिनांक 31/10/25 तहसील-

जिला चित्रकूट
सीनकूट




Ultra Tech Cement Limited
Ultra Tech Cement Works
Authorized Signatory
Authorized Signatory

जलरी नकशा

9

मौजा. नुरे हक वावा तहसील बानिकपुर (चिजकट)
गाटा संख्या 1689 मि., 1690, 1691, विक्रोत संख्या 6.3945 हे
1692, 1693, 1695



इत्त

पिडनम

गाटा संख्या		
1689 मि.	1690	1691
1692	1693	1695


पुष्क

चिहण

॥



Prashant



UltraTech Cement Limited
Unit: Datta Cement Works


Authorised Signatory



आवेदन सं०: 202500875012966

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9675 के पृष्ठ 77 से 94 तक क्रमांक 10329 पर
दिनांक 29/10/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



हिमांशु . प्रभारी
उप निबंधक : सदर
चित्रकूट
29/10/2025



रघुल प्लॉट

6

मौजा-चुरेह कसरुवा तहसील-सावित्रीपुर (मिर्जापुर)



॥



Prashant



UltraTech Cement Limited
Unit Datta Laxmi Works

Authorised Signatory

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उप निबंधक सदर

चित्रकूट

क्रम 2025102012991

आवेदन संख्या : 202500875012966

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक

2025-10-29 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम प्रशम कुमार जैन

लेख का प्रकार

विक्रय पत्र

प्रतिफल की धनराशि

8400000

/ 8833000.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क

88330

2. प्रतिलिपिकरण शुल्क

60

3. निरीक्षण या तलाश शुल्क

4. मुछ्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5. कमीशन शुल्क

6. विविध

7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग

88390

शुल्क वसूल करने का दिनांक

2025-10-29 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा

2025-10-29 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

<https://igrsup.gov.in/igrsup/getPaymentRecieptDirectSlipGeneration>

UltraTech Cement Limited
Unit: Duhis Cement Works

Authorised Signatory